लिफाफा संख्या - 01 में प्रस्तुत किया जाना है

बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय
सिवान अंचल
तारवाड़ा मोड़ ,प्रथम तल
सिवान-841226.

टेक्नो कमर्शियल बोली - भाग ए

निविदा दस्तावेज़
के लिए
"इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य
बैंक ऑफ इंडिया मिरगंज शाखा मिरगंज में"

बैंक ऑफ इंडिया सिवान अंचल में सूचीबद्ध
नौकरी मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत 5.00 लाख रुपये तक

मेसर्स _____ को जारी
_____
_____
_____
_____
_____

सी आर जेनेसिस
कंकर बाग ,पटना-8०००२०
आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और वैल्यूअर
मो.-9097656656

इलेक्ट्रिकल और डाटा केबलिंग कार्य के लिए निविदा
बैंक ऑफ इंडिया,मिरगंज शाखा

अंतर्वस्तु

तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग ए) लिफाफा संख्या 01 में प्रस्तुत की जानी है

निविदा आमंत्रण सूचना : 03 -07

सामान्य नियम और निर्देश
निविदाकर्ताओं का मार्गदर्शन : 08-09

अनुबंध की सामान्य शर्तें : 09-22

निविदा परिशिष्ट : 23-24

अनुबंध की विशेष शर्तें :25-31

सुरक्षा कोड : 32-37

सामान्य कार्य की विशिष्टताएँ : :38-40
तकनीकी विशिष्टता : 41-43

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संरक्षण के लिए आदर्श नियम
: 41-42

समझौते का अनुच्छेद : 43-4

वित्तीय बोली (भाग बी) लिफाफा संख्या-2 में प्रस्तुत की जानी है

निविदा आमंत्रण सूचना

बीओआई सिवान अंचल में सूचीबद्ध ठेकेदारों के लिए 5.00 लाख रुपये तक के कार्य मूल्य की श्रेणी के तहत मद दर के आधार पर विद्युत और डेटा केबलिंग कार्य के लिए अच्छी तकनीकी और वित्तीय क्षमता रखने वाले सक्षम ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

बैंक ऑफ इंडिया मिरगंज शाखा रसूलपुर में।

पात्रता मापदंड

1. ठेकेदार को **बैंक ऑफ इंडिया सिवान जोन में सूचीबद्ध होना चाहिए** **कार्य मूल्य श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख तक** और समान प्रकृति (संयुक्त कार्य) के विद्युत, डाटा केबलिंग कार्य तथा **अनुमानित मूल्य के कम से कम 80% परिमाण का कार्य एक ही अनुबंध में संतोषजनक ढंग से पूरा किया हो या अनुमानित लागत के 50% के** बराबर राशि से कम लागत वाले दो समान कार्य पूरे किए हों। **बैंकिंग क्षेत्र, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र** में पिछले तीन वर्षों में पूरे किए गए **प्रत्येक या तीन समान कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 40%** के बराबर से कम नहीं है **केन्द्रीय सरकार और प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट के उपक्रम।** कार्य **का कार्य आदेश और कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र पूर्व योग्यता के लिए निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए (लिफाफा संख्या 1 में) अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।**
2. ठेकेदार को विद्युत कार्य वैध विद्युत लाइसेंस वाले विद्युत ठेकेदार से करवाना चाहिए।

रसूलपुर में बीओआई मिरगंज शाखा में इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्यों के लिए बोलीदाता की पूर्व योग्यता के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड ।

महत्वपूर्ण: 1.कृपया बड़े अक्षरों में टाइप करें या हाथ से लिखें।

2. सहायक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
3. यदि आवश्यक हो तो कृपया अतिरिक्त शीट का उपयोग करें।
4. कृपया निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाएं।

बोलीदाता का नाम :	
मेल पता :	
कार्यालय का टेलीफोन नंबर :	
मोबाइल नहीं है :	
फैक्स नं.:	
पता 1 :	
शहर :	
पिन कोड :	

स्थापना वर्ष (न्यूनतम तीन वर्ष की स्थापना)	सहायक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
फर्म की स्थिति :	स्वामित्व/साझेदारी/लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड .
निदेशकों/भागीदारों/मालिकों के नाम :	
बैंकर्स का नाम और पता – 1 :	
बैंकर्स का नाम और पता – 2 :	
बैंकर्स का नाम और पता – 3 :	
रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण संख्या और तारीख कम्पनियों/फर्मों की संख्या :	
'ए' श्रेणी विद्युत ठेकेदार का पंजीकरण क्रमांक (संबद्ध हो सकता है):	
पैन कार्ड नंबर :	
जीएसटी नं:-	
3 वर्ष की बैलेंस शीट की प्रतियां का अनुरोध करें:-	
अपने बैंकर से वर्तमान शोधन क्षमता प्रमाण पत्र:-	
बीओआई एवं अन्य बैंकों/पीएसयू के साथ पैनलबद्धता	
गतिविधि का क्षेत्र :	
मुख्य गतिविधि :	

आज तक किये गये कुल कार्य का मूल्य :	
पिछले तीन वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए विद्युत एवं डाटा केबलिंग कार्यों का विवरण दें। एक परियोजना कम से कम-4.00 लाख या दो प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 2.50 लाख या तीन परियोजनाएँ न्यूनतम-2.00 लाख	
निविदा शुल्क का विवरण संलग्न:- संलग्न ईएमडी का विवरण:-	
संगठन में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की संख्या की सूची :	विवरण संलग्न करें
संगठन में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की संख्या सूचीबद्ध करें:	विवरण संलग्न करें
क्या आपने पहले कभी बैंक ऑफ इंडिया के लिए कोई काम किया है? या इसकी सहायक कंपनियां?	विवरण संलग्न करें
क्या आपको कभी भी संविदागत दायित्वों को पूरा न करने के कारण बैंक द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है या जुर्माना लगाया गया है। यदि हाँ, तो कृपया संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें।	
क्या आपको कभी किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अवकाश सूची में डाला गया है या प्रतिबंधित किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें:	

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि हमारी जानकारी के अनुसार यह सूचना प्रामाणिक है और स्वीकार करते हैं कि इसे जानबूझकर छिपाना किसी भी स्तर पर अयोग्यता के बराबर होगा।
बोलीदाता/ओं की मुहर और हस्ताक्षर।

तारीख:-

जगह:-

निविदा दस्तावेजों की खरीद का तरीका

1. **सिवान** के कॉर्पोरेट सेवा विभाग से खरीदे जा सकते हैं **, रु. 1000/- (केवल एक हजार रुपये)** का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (गैर-वापसीयोग्य) के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में, सिवान में देय करके किया जा सकता है। **06/07/2025** से **21/07/2025 तक** सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच (सोमवार से शनिवार) कार्य दिवस

2. ठेकेदार **06/07/2025** से **21/07/2025** तक बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.com से निविदा दस्तावेज डाउनलोड भी कर सकते हैं । हालांकि ठेकेदार को लिफाफा संख्या-01 में तकनीकी बोली के साथ बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में सिवान में देय डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में **1000/- (केवल एक हजार रुपये) संलग्न** करना होगा, अन्यथा उनकी निविदा को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि निविदा जमा करते समय निविदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठ बरकरार हों। यदि यह पाया जाता है कि निविदा दस्तावेज से कोई पृष्ठ गायब है, तो उनकी निविदा को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका

निविदाएं हमेशा सीलबंद लिफाफे में रखी जानी चाहिए तथा लिफाफे पर निविदा कार्य का नाम लिखा होना चाहिए।
को

आंचलिक प्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय सिवान
निगमित सेवाएँ विभाग
प्रथम तल ·तरवारा मोड़

सिवान-841226.
बिहार
उचित आकार के सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज रखें"

लिफाफा संख्या 1, "टेक्नो कमर्शियल बिड" (भाग ए)

लिफाफा संख्या 1 में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए तथा उसे उचित रूप से सीलबंद किया जाना चाहिए।

1. निविदा मूल्य की लागत का उल्लेख किए बिना पत्र अग्रेषित करना।
2. निविदा दस्तावेज की लागत **1000/- रुपये,** बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में, सिवान में देय (यदि बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो)
3. बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में **रु 7000/-** की अग्रिम राशि , सिवान में देय।
4. पूर्ण किए गए कार्यों का समापन प्रमाण पत्र और कार्य आदेश। **एकल अनुबंध में अनुमानित मूल्य का 80% या दो समान कार्य जिनकी लागत प्रत्येक अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है या तीन समान कार्य जिनकी लागत प्रत्येक अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है।**
5. पैन नंबर, जीएसटी पंजीकृत संख्या प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
6. **बिहार सरकार के** लिए और उसकी ओर से कार्य निष्पादित करेगा ।

लिफाफा संख्या 2 – "वित्तीय बोली" (भाग बी)

लिफाफा संख्या 2 में विधिवत भरी गई वित्तीय बोली होगी।

लिफाफा क्रमांक 3

लिफाफा क्रमांक 1 और 2 अंकित करके उसे उचित आकार के बड़े लिफाफे क्रमांक 3 में रखा जाना चाहिए,

जिसे उचित रूप से सील किया जाना चाहिए। इस लिफाफे के बाहरी भाग पर पृष्ठांकन किया जाना चाहिए और उस पर " **निविदा " लिखा होना चाहिए। के लिए इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य बैंक ऑफ इंडिया रसूलपुर शाखा रसूलपुर में"**

"बैंक ऑफ इंडिया रसूलपुर शाखा के इलेक्ट्रिकल और डाटा केबलिंग कार्य के लिए निविदा"

अनुमानित लागत : लगभग 3.25 लाख

बयाना जमा राशि : रु 7,000/- (केवल सात हज़ार रुपये) क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक द्वारा सिवान में देय और के पक्ष में तैयार

बैंक ऑफ इंडिया.

प्रस्तुत करने का स्थान: -

आंचलिक प्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, सिवान
निगमित सेवाएँ विभाग
प्रथम तल, तरवारा मोर, सीवान-841226 बिहार ।

पूरा होने का समय : - 07 दिन

निविदा जमा करने का समय और तिथि:- 21/07/2025 को शाम 5:00 बजे से पहले

टेक्नो कमर्शियल बिड (भाग-ए) खोलने का समय और तिथि: 22/07/2025 को शाम 4:00 बजे

मूल्य बोली खोलने का समय और तिथि: (भाग बी): 22/07/2025 को शाम 5:00 बजे (मूल्य बोली केवल उन लोगों के लिए खोली जाएगी जिनकी तकनीकी वाणिज्यिक बोली योग्य होगी)

बैंक न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

सिवान के संपर्क व्यक्ति

श्री अभिजित कुमार – 9939021676

श्री अभिषेक कुमार सिंह - 9561602900

उप-आंचलिक प्रबंधक
सिवान अंचल

निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

1. **बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं मिरगंज में मिरगंज शाखा का कार्य।**
2. **निविदाएं/अनुबंध दस्तावेज जिसमें योजनाएं, पूर्ण विनिर्देश, किए जाने वाले विभिन्न वर्गों के कार्यों की मात्रा की अनुसूची, तथा उन व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली अनुबंध की शर्तें शामिल होंगी जिनकी निविदाएं स्वीकार की जा सकती हैं, तथा जो निविदाओं के रूप में भी मिलेंगी, उन्हें निविदा**

आमंत्रण सूचना में निर्धारित अनुसार बीओआई आंचलिक कार्यालय, सीवान के कॉर्पोरेट सेवा विभाग से खरीदा जा सकता है।

3. चूंकि यह एक कार्यकारी शाखा है, इसलिए कार्य के लिए साइट को भागों में उपलब्ध कराया जाएगा। दो भागों वाली निविदाओं के मामले में, निविदाओं को खोलने की तिथि और उनके भागों के साथ-साथ पैकेजों पर उपरिलेख निविदा आमंत्रण सूचना में दिए गए विशिष्ट निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

4 निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र पर होनी चाहिए जिसे बैंक ऑफ इंडिया, सीवान के आंचलिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में गैर-वापसी योग्य 1000/- रुपये का डीडी/बैंकर्स चेक देना होगा, जो सीवान में देय होगा या निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित अनुसार डाउनलोड किया जा सकता है। कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश की तिथि से 07 दिनों के भीतर कार्य पूरा करने की अनुमति होगी।

5 ठेकेदारों को अपने द्वारा दी गई दर और राशि को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी बताना चाहिए। प्रत्येक मद के लिए राशि की गणना की जानी चाहिए और अपेक्षित योग दिया जाना चाहिए।

6 जब कोई ठेकेदार किसी भारतीय भाषा में निविदा पर हस्ताक्षर करता है तो निविदा राशि के ऊपर या नीचे प्रतिशत और कुल निविदा राशि भी उसी भाषा में लिखी जानी चाहिए। अशिक्षित ठेकेदारों के मामले में निविदा की दरें या राशि किसी गवाह द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

7 निविदाएं खोलने के लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व निविदा फार्म जारी करना बंद कर दिया जाएगा।

बयाना राशि, रु 7,000/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में, पक्ष में आहरित
बैंक ऑफ इंडिया, सिवान का। प्रत्येक निविदा के साथ एक सीलबंद लिफाफा होना चाहिए जिस पर लिखा होना चाहिए

" नाज़ुक के लिए इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य बैंक ऑफ इंडिया मिरगंज शाखा के लिए रसूलपुर में "
और आंचलिक प्रबंधक को संबोधित। बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, सीवान।

8 जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार की जाती है, उसे अपने अनुबंध की समुचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के रूप में निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी:

प्रारंभिक सुरक्षा जमा (आईएसडी) : स्वीकृत अनुबंध मूल्य का 2% ईएमडी घटाकर, ठेकेदार द्वारा निविदा की स्वीकृति के 7 दिनों के भीतर जमा किया जाना है।

प्रतिधारण राशि: सुरक्षा जमा राशि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड संख्या 11 में बताए अनुसार एकत्र की जाएगी।

जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर ली गई है, उसकी ईएमडी पूरी तरह जब्त कर ली जाएगी यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर प्रारंभिक सुरक्षा जमा राशि जमा नहीं करता है या अवार्ड पत्र में उल्लिखित निर्धारित तिथि तक कार्य शुरू नहीं करता है।

10. किसी निविदा की स्वीकृति का अधिकार बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, सीवान के पास होगा। जो कि न्यूनतम निविदा से खुद को नहीं बांधता है और बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। सभी निविदाएं जिनमें कोई भी निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं या किसी भी तरह से अधूरी हैं, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। बैंक निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि उसकी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तो निविदाकर्ता के पास दरों या अन्य शर्तों के संशोधन का कोई दावा नहीं होगा।

11. निविदाओं के संबंध में प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा प्रचार-प्रसार करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

12. सभी दरें केवल निविदा के उचित प्रपत्र पर ही उद्धृत की जाएंगी।

13. नीचे/ऊपर प्रतिशत वाली वस्तु दर निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि, जहां कोई निविदा स्वेच्छा से निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान के लिए छूट प्रदान करती है, वहां इस पर विचार किया जा सकता है।

14. निविदा स्वीकृत होने पर, ठेकेदार के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) का नाम, जो नियोक्ता/वास्तुकारों से निर्देश लेने के लिए जिम्मेदार होगा, नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

15. दरों को अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी लिखने का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए तथा राशियों को केवल अंकों में ही इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि उनमें अन्तराल संभव न हो। कुल राशि को अंकों तथा शब्दों दोनों में ही लिखा जाना चाहिए। अंकों के मामले में, रुपये के अंक से पहले "रुपये" शब्द तथा दशमलव अंकों के बाद "पी" शब्द लिखा जाना चाहिए, जैसे 2.15 पैसे। तथा शब्दों के मामले में, पहले "रुपये" शब्द तथा अंत में "पैसा" शब्द लिखा जाना चाहिए, जब तक कि दर पूरे रुपये में न हो तथा उसके बाद "केवल" शब्द न हो, यह हमेशा दो दशमलव स्थानों तक होना चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दर उद्धृत करते समय, "केवल" शब्द को राशि के ठीक बाद लिखा जाना चाहिए तथा इसे अगली पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

16. बैंक न्यूनतम दर या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा निविदा के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा निविदाकर्ता उद्धृत दर पर ही कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

17. इस अनुबंध के संबंध में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क या सामग्री पर कोई अन्य कर या तैयार कार्यों जैसे कार्य अनुबंध कर, सेवा कर, टर्नओवर कर आदि सहित सभी कर ठेकेदार द्वारा देय होंगे और बैंक इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
इस विशेष पहलू का उल्लेख निविदा सूचना में किया जाना चाहिए।

18. ठेकेदार को बैंक में काम करने वाले अपने रिश्तेदारों की सूची उनके पदनाम और पते सहित देनी होगी।

19. बैंक के किसी भी कर्मचारी को बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होने के दो वर्ष की अवधि के लिए बैंक की पूर्व अनुमति के बिना ठेकेदार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी भी समय ठेकेदार या उसके किसी भी कर्मचारी को ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने निविदा प्रस्तुत करने या ठेकेदार की सेवा में शामिल होने से पहले बैंक की पूर्वोक्त अनुमति प्राप्त नहीं की थी, तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है।

20. कार्य के लिए निविदा मूल्य बोली खुलने की तिथि से 7 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए खुली रहेगी। यदि कोई निविदाकर्ता उक्त अवधि से पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो बैंक निविदा के साथ भुगतान की गई बयाना राशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. कार्य के लिए निविदा की गवाही ऐसे ठेकेदार द्वारा नहीं दी जाएगी जिसने स्वयं निविदा दी है या जिसने उसी कार्य के लिए निविदा दी है। इस शर्त का पालन न करने पर निविदा देने वाले और निविदा देखने वाले ठेकेदारों की निविदाएं तुरंत अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

22. निविदाकर्ता के लिए सभी घटक भागों के लिए निविदा प्रस्तुत करना तथा निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा तथा कार्य सौंपे जाने के बाद उसे बैंक में सक्षम प्राधिकारी के साथ प्रत्येक घटक के लिए एक करार करना होगा।

23. निविदाकर्ता को एक सक्षम ठेकेदार होने के अलावा, उचित वर्ग की एजेंसियों के साथ जुड़ना होगा जो (i) इलेक्ट्रिकल, लैन के लिए निविदा देने के लिए पात्र हैं

24 अनुबंध में सम्मिलित विद्युत कार्य बिहार सरकार (विद्युत विभाग) द्वारा निर्गत वैध विद्युत अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। किन्तु कार्य की समस्त जिम्मेदारी मुख्य ठेकेदार (ठेकेदार) पर निर्धारित होगी।

25. निविदाएं हमेशा सीलबंद लिफाफे में रखी जानी चाहिए, जिस पर निविदा कार्य का नाम लिखा होना चाहिए ।
लिफाफे पर लिखा हुआ पत्र अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, अंचल द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
कार्यालय, तरवारा मोड़, सीवान, बिहार को उचित आकार के सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजना होगा:- तकनीकी बोली, वित्तीय बोली, निविदा शुल्क, ईएमडी

26. **जो ठेकेदार "तकनीकी वाणिज्यिक बोली" में अयोग्य घोषित होगा, उसकी " वित्तीय बोली" नहीं खोली जाएगी तथा उसके द्वारा प्रस्तुत ईएमडी (बिना किसी ब्याज के) के साथ सीलबंद फॉर्म में वापस कर दी जाएगी।**

27. निविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि निविदा पूर्णतः मद दर के आधार पर होगी तथा उसका ध्यान विशेष रूप से इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत मद के लिए दर सही तथा व्यावहारिक होनी चाहिए (असामान्य दर के कारण ईएमडी जब्त हो सकती है) चाहे वास्तव में कितनी भी मात्रा में कार्य किया गया हो, भले ही मात्रा अनुसूची में उल्लिखित मात्रा कितनी भी हो।

उप-आंचलिक प्रबंधक

<u>अनुबंध की सामान्य शर्तें</u>

सिवाय जहां मात्राओं की अनुसूची में अलग-अलग मदों के विवरण में तथा इसके बाद निर्धारित विनिर्देशों और शर्तों में तथा चित्रों में प्रावधान किया गया है, कार्य मानक विनिर्देश के अनुसार तथा नियोक्ता/वास्तुकार के निर्देशन में किया जाएगा।

खण्ड-1:- व्याख्या।

इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची, निविदा और समझौते को परिभाषित करते समय, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां निर्दिष्ट किया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो:-

i. नियोक्ता: शब्द "नियोक्ता" का तात्पर्य बैंक ऑफ इंडिया से होगा जिसका प्रधान कार्यालय स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051 में है और उसके प्रतिनिधि जो उसकी ओर से अधिकृत हैं।

आर्किटेक्ट:- शब्द "आर्किटेक्ट" का अर्थ होगा, या इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए उनके आर्किटेक्ट न रहने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित कोई अन्य व्यक्ति/व्यक्तियाँ।

ii. ठेकेदार:- शब्द "ठेकेदार" का अर्थ होगा ..... (ठेकेदार का नाम और पता) और उसके/उनके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, समनुदेशिती और उत्तराधिकारी।

iii. सीवान आंचलिक कार्यालय से लगभग 15 **किमी दूर मिरगंज में स्थित है।**

iv. साइट इंजीनियर:- वास्तुकार / नियोक्ता का प्रतिनिधि साइट निरीक्षण करेगा

v. ड्राइंग:- कार्य को ड्राइंग, विनिर्देशों, मात्राओं के बिल/अनुसूची और किसी भी अन्य ड्राइंग जो आपूर्ति की जा सकती है या किसी अन्य निर्देश के अनुसार किया जाना है, जो कार्य के निष्पादन के दौरान नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा दिया जा सकता है।

ठेकेदार को कार्य से संबंधित सभी चित्र तथा मात्रा अनुसूची की एक प्रति दी गई है।
साइट पर रखा जाना चाहिए और नियोक्ता/वास्तुकारों को ऐसी ड्राइंग या अनुसूची तक पहुंच दी जाएगी
मात्राएँ जब भी आवश्यक हो। यदि कोई विस्तृत चित्र आवश्यक हो तो ठेकेदार ऐसा चित्र तैयार करेगा।
विस्तृत चित्र और / या आयामी रेखाचित्र और नियोक्ता द्वारा इसकी पुष्टि की गई है /
इस तरह के काम को करने से पहले ठेकेदार को आर्किटेक्ट से लिखित में सभी स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।
चित्रों, विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची या अतिरिक्त में कहीं भी होने वाले मामले
निर्देशों को क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित समय से कम से कम 10 दिन पहले जारी किया जाना चाहिए ताकि
नियोक्ता इस पर निर्णय देने में सक्षम हो सकता है।

vi. "कार्य" का तात्पर्य इस अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित या किए जाने वाले कार्य या कार्यों से होगा।

vii. "दिवालियापन अधिनियम" का अर्थ प्रेसीडेंसी शहर दिवालियेपन अधिनियम या प्रांतीय दिवालियेपन अधिनियम या किसी संशोधित क़ानून द्वारा तय किया गया कोई भी कार्य होगा।

viii. "अनुसूची/मात्राओं का बिल" का तात्पर्य निर्दिष्ट मात्राओं की अनुसूची से होगा जो इस अनुबंध का हिस्सा है।

ix. "मात्राओं की अवधि अनुसूची" का तात्पर्य ठेकेदार की स्वीकृत उद्धृत दरों के साथ विधिवत मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची से होगा।

खण्ड-2:- कार्यक्षेत्र.

इस कार्य में **मिरगंज** में बीओआई **मिरगंज** शाखा में नियोक्ता के विद्युत और डेटा केबलिंग कार्य का निर्माण शामिल है जिसमें इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग शामिल है। (कार्य का विवरण) "ड्राइंग" और "मात्राओं की अनुसूची" के अनुसार। इलेक्ट्रिकल कार्य और लैन आदि इस निविदा के दायरे में हैं। इसमें निर्माण और कार्य के पूरा होने के लिए आवश्यक और प्रासंगिक सभी सामग्रियों, श्रम, उपकरण और प्रबंधन को प्रस्तुत करना शामिल है। सभी कार्य, इसकी प्रगति के दौरान और पूरा होने पर, नियोक्ता / वास्तुकारों द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग में दिखाए गए लाइनों, उन्नयन और ग्रेड के अनुरूप होंगे। यदि कार्य के कुशल समापन के लिए आवश्यक कोई विवरण ड्राइंग और विनिर्देशों से छूट जाता है, तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह नियोक्ता / वास्तुकारों को सूचित करे और नियोक्ता / वास्तुकार की सहमति से ऐसा विवरण प्रस्तुत करे और स्थापित करे, ताकि प्रस्तावित कार्य पूरा होने पर यह स्वीकार्य और उपयोग के लिए तैयार हो
नियोक्ता/वास्तुकार अपने पूर्ण विवेक से आगे के चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं जिन्हें आगे से सामूहिक रूप से निम्नलिखित के संबंध में "नियोक्ता/वास्तुकार के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाएगा:

(a) कार्यों के डिजाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य को जोड़ना, छोड़ना या प्रतिस्थापित करना।

(b) चित्रों में या मात्रा अनुसूची और/या चित्रों और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।

(c) ठेकेदार द्वारा साइट पर लाई गई किसी भी दोषपूर्ण सामग्री को साइट से हटाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री को रखना।

(d) ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को ध्वस्त करना, हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।

(e) उस पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति की कार्य से बर्खास्तगी।

(f) किसी भी ढके हुए कार्य के निरीक्षण के लिए स्थान खोलना।

(g) इसके बाद उल्लिखित खंडों के अंतर्गत किसी भी दोष का सुधार और उसे ठीक करना तथा रखरखाव अवधि (धारण अवधि) के दौरान उत्पन्न होने वाले दोष।

ठेकेदार को ऐसे नियोक्ता/वास्तुकार के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करना होगा और उसे विधिवत निष्पादित करना होगा, बशर्ते कि नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों पर दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण यदि किसी परिवर्तन से संबंधित हों, तो उन्हें 7 दिनों के भीतर ठेकेदार/ओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी। कोई भी कार्य जिसके लिए दरों का उल्लेख मात्राओं की मूल्य सूची में विशेष रूप से नहीं किया गया है, नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। मात्राओं की मूल्य सूची में उल्लिखित नहीं की गई वस्तुओं की दरें नियोक्ता द्वारा वास्तुकारों के परामर्श से खंड "परिवर्तन" में दिए गए अनुसार तय की जाएंगी।

सभी फैक्टरी निर्मित उत्पादों के संबंध में, जिनके लिए आईएसआई चिन्हित उत्पाद उपलब्ध हैं, कार्य में केवल आईएसआई चिन्हित उत्पादों का ही उपयोग किया जाएगा।

खण्ड-3:- निविदाकर्ता को साइट का दौरा करना होगा।

इच्छुक निविदाकर्ता को साइट का दौरा करना होगा और स्थानीय साइट की स्थिति, कार्यों की प्रकृति और आवश्यकताओं, परिवहन की स्थिति की सुविधाओं, प्रभावी श्रम और सामग्री, सामग्री के लिए पहुँच और भंडारण तथा कचरे को हटाने से खुद को पूरी तरह से परिचित करना होगा। निविदाकर्ता को अपने टेंडर में गाड़ी की लागत, माल ढुलाई और अन्य शुल्कों के साथ-साथ ड्राइंग में दर्शाए गए अनुसार कार्य के उचित निष्पादन के लिए परिवहन आदि के लिए पुलिस प्रतिबंध सहित किसी भी विशेष कठिनाइयों के लिए प्रावधान करना होगा। सफल निविदाकर्ता किसी भी साइट की स्थिति के कारण होने वाली कठिनाइयों या हुए नुकसान के लिए मुआवजे के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा जो काम शुरू होने से पहले मौजूद थी या जिसे नियोक्ता/वास्तुकारों की राय में काम शुरू होने से पहले मौजूद माना जा सकता है।

खण्ड-4:- निविदाएं।

निविदाकर्ता को जारी किए गए निविदा पत्र के पूरे सेट को पूरी कीमत के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर के साथ अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए। हस्ताक्षर/प्रारंभिक हस्ताक्षर निविदाकर्ता द्वारा निविदा पत्र की स्वीकृति को इंगित करेंगे।

मात्रा का बिल निम्नानुसार भरा जाएगा:

i."दर" कॉलम को अंग्रेजी अंकों और अंग्रेजी शब्दों दोनों में स्याही से स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए।

ii.प्रत्येक मद के लिए राशि कॉलम भरा जाना है तथा प्रत्येक उपशीर्ष के लिए राशि "मात्राओं की अनुसूची" में दी गई है।

iii.सभी सुधारों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

iv.वैकल्पिक वस्तु के लिए "दर कॉलम" भरा जाएगा।

v.वैकल्पिक मदों के लिए "राशि" कॉलम भरा जाएगा।

vi.उद्धृत दरों में किसी भी त्रुटि/चूक के मामले में, निविदा में दी गई "मूल" अंकित दरों को ही सही दर माना जाएगा।

निविदादाता द्वारा निविदा पत्रों में कोई संशोधन, लेखन या सुधार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह अपनी इच्छानुसार मूल निविदा पत्रों के साथ संलग्न कागज के एक अलग पृष्ठ पर अपनी टिप्पणी या संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।

नियोक्ता को न्यूनतम या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने तथा प्रत्येक अनुभाग के लिए किसी या सभी निविदाओं को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी कार्य को विभाजित करके किसी विशेषज्ञ फर्म/फर्मों को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित है।

निविदाकर्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि निविदा पूरी तरह से मद दर के आधार पर है और उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक मद के लिए दरें सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। यदि नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा कहा जाता है तो किसी या सभी दरों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियोक्ता/वास्तुकार ठेकेदार के विश्लेषण को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

कार्यों का भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर "मापा कार्य" के रूप में किया जाएगा, न कि "एकमुश्त" अनुबंध के रूप में, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

मात्राओं की अनुसूची में वर्णित सभी कार्य मदों को सभी मामलों और विवरणों में पूर्ण कार्य माना जाएगा और उनका भुगतान किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक और परिष्करण कार्य शामिल हैं, जो सीधे, ड्राइंग, विनिर्देश और मात्राओं की अनुसूची से संबंधित और उचित रूप से पता लगाने योग्य हैं और इस संबंध में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।

किसी भी कार्य मद के संबंध में निविदा में एकमुश्त शुल्क के मामले में, ऐसे कार्य मद का भुगतान नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा देय एकमुश्त शुल्क के आधार पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए किया जाएगा।

नियोक्ता को ड्राइंग में दिखाए गए या विनिर्देश में वर्णित या मात्राओं की अनुसूची में शामिल किसी भी कार्य में कुछ जोड़ने, हटाने और लिखित रूप में सूचित करने का अधिकार है, लेकिन नियोक्ता से प्राधिकरण के बिना ठेकेदार द्वारा कोई भी जोड़, हटाना या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कोई भी परिवर्तन अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा।

निविदाकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी निविदा, निविदा खुलने की तिथि से 07 दिनों की अवधि तक विचारार्थ खुली रहेगी।

खण्ड-5:- समझौता।

सफल ठेकेदार को स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप तैयार किए गए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है तथा उसे सभी स्टाम्पों और उससे संबंधित कानूनी व्ययों का भुगतान करना होगा।

खण्ड-6:- परमिट और लाइसेंस।

सरकारी नियंत्रण में आने वाली सामग्रियों को जारी करने के लिए परमिट और लाइसेंस की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा अपनी जिम्मेदारी पर की जाएगी। नियोक्ता आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, किसी भी फॉर्म या आवेदन पर हस्ताक्षर करेगा जो

आवश्यक हो सकता है। निविदा के मूल्यांकन के उद्देश्य से नियंत्रित सामग्रियों की मूल कीमत, यदि कोई हो, नीचे निर्धारित अनुसार मानी जाएगी। यह ठेकेदार के बिलों को निर्धारित करने में समायोजन का आधार भी होगा।

खंड-7:- सरकारी एवं स्थानीय नियम।

ठेकेदार को कार्य से संबंधित सभी स्थानीय उपनियमों और अधिनियमों के प्रावधानों तथा सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों और किसी भी कंपनी के नियमों आदि का पालन करना होगा, जिसके सिस्टम से संरचना को जोड़ने का प्रस्ताव है। ठेकेदार को सभी आवश्यक नोटिस देने होंगे और उक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों और उपनियमों आदि द्वारा परिकल्पित प्रावधानों का पालन करना होगा और संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए ऐसे प्राधिकरण/प्राधिकरणों को देय सभी शुल्क का भुगतान करना होगा। लागत, यदि कोई हो, लाइसेंस के लिए सभी देनदारियों, फुटपाथ अतिक्रमण और जीर्णोद्धार आदि के लिए शुल्क को ध्यान में रखते हुए, उनके उद्धृत दरों में शामिल मानी जाएगी और नियोक्ता को ऐसी देनदारियों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करनी होगी और ऐसे दावों या देनदारियों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों को स्थगित करना होगा।

खण्ड-8:- कर एवं शुल्क।

नियमानुसार जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

खण्ड-9:- निष्पादित किये जाने वाले कार्य की मात्रा।

मात्राओं की अनुसूची में दर्शाई गई मात्राएं, चित्रों में दर्शाई गई संपूर्ण नई संरचना को कवर करने के लिए हैं, लेकिन नियोक्ता बिना कोई कारण बताए केवल एक भाग या संपूर्ण या किसी अतिरिक्त को निष्पादित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

खण्ड-10:- नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति।

नियोक्ता को इस अनुबंध में शामिल कार्य के किसी भी भाग या इस अनुबंध में शामिल न किए गए किसी भी कार्य को अन्य एजेंसी या व्यक्तियों द्वारा निष्पादित करने का अधिकार सुरक्षित है और ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं और अपने मचान के उपयोग की अनुमति देगा। मुख्य ठेकेदार इस संबंध में सभी सहयोग प्रदान करेगा।

खण्ड-11:- बयाना राशि और सुरक्षा जमा।

निविदाकर्ता को निविदा प्रस्तुत करते समय बयाना राशि के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में **7,000/- रुपए जमा कराने होंगे** । नियोक्ता बयाना राशि पर कोई ब्याज देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि कार्य के बारे में निर्णय लिए जाने के तुरंत बाद या निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

सफल निविदाकर्ता जिसे अनुबंध दिया गया है, उसे प्रारंभिक सुरक्षा जमाराशि तथा बयाना राशि सहित स्वीकृत निविदा के मूल्य का **2% जमा करना होगा** । प्रारंभिक सुरक्षा जमाराशि निविदा की स्वीकृति की तिथि से 07 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर नियोक्ता अपने विवेक से स्वीकृति पत्र को रद्द कर सकता है तथा निविदा के साथ प्रस्तुत बयाना राशि जब्त कर सकता है। यह राशि ठेकेदार को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के 14 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।

उपरोक्त अनुसार की गई आरंभिक सुरक्षा जमा के अलावा, प्रतिधारण राशि को प्रत्येक चालू बिल के सकल मूल्य के **10% की दर से** कुल सुरक्षा जमा होने तक प्रगतिशील चालू बिलों से काट लिया जाएगा। यानी आरंभिक सुरक्षा जमा और प्रतिधारण राशि स्वीकृत निविदा राशि के 10% के बराबर है। प्रतिधारण राशि को दोष दायित्व अवधि (यानी 12 महीने) के अंत के 14 दिनों के बाद ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते उसने संतोषजनक ढंग से सभी काम किए हों और अनुबंध के अनुसार सभी दोषों को दूर किया हो। अनुबंध की शर्तों के अनुसार। प्रतिधारण धन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

बयाना राशि, प्रारंभिक सुरक्षा जमा और प्रतिधारण राशि का पैमाना निम्नानुसार है: -

i) प्रारंभिक सुरक्षा जमा (आईएसडी): स्वीकृत अनुबंध मूल्य का 2% ईएमडी घटाकर, तथा ठेकेदार को निविदा स्वीकृत होने के 7 **दिनों के भीतर जमा करना होगा।**

ii) प्रतिधारण राशि : सत्यापित बिल का 10%। दोष दायित्व अवधि बारह महीने होगी।

धारा -12:- ठेकेदार सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराएगा।

ठेकेदार को ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के उद्देश्य और अर्थ के अनुसार काम के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे वे उसी तरह से हों या नहीं, उन्हें विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया गया हो, बशर्ते कि उनका उचित रूप से अनुमान लगाया जा सके और यदि ठेकेदार को इसमें कोई विसंगतियां मिलती हैं, तो वह तुरंत और लिखित रूप में नियोक्ता/वास्तुकार/पीएमसी को संदर्भित करेगा, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ठेकेदार को काम को पूरा करने के लिए अपने खर्च पर जमीन और ताजे पानी की व्यवस्था करनी होगी। नियोक्ता किसी भी हालत में ठेकेदार द्वारा किराए पर ली गई जमीन या कहीं और से प्राप्त ताजे पानी के लिए किए गए खर्च के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अलग-अलग मदों के लिए उद्धृत दरों में अनुबंध के अंतर्गत कार्य की उक्त मदों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी चीजें शामिल होंगी तथा इकाई मूल्य से परे, निविदा दस्तावेजों में निर्धारित विशिष्ट मदों, यदि कोई हो, को छोड़कर, सभी करों और शुल्कों सहित आकस्मिक या आकस्मिक कार्य, श्रम और/या सामग्री के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ठेकेदार किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए अपने स्वयं के खर्च पर सभी औजार, टैकल, मशीनरी और उपकरण तथा सभी आवश्यक सेंट्रिंग, मचान, स्टेजिंग, प्लांकिंग, टिम्बरिंग, स्ट्रटिंग, शोरिंग, पंपिंग, बाड़ लगाना, बोर्डिंग, निगरानी और रात के साथ-साथ दिन में प्रकाश की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव करेगा, जो न केवल उक्त कार्य के उचित निष्पादन और संरक्षण के लिए बल्कि जनता की सुरक्षा और किसी भी निकटवर्ती सड़कों, गलियों, दीवारों, घरों, भवन, अन्य सभी निर्माणों, मामलों और चीजों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है और ठेकेदार किसी भी या सभी ऐसे सेंट्रिंग, मचान, स्टेजिंग, प्लांकिंग, टिम्बरिंग, स्ट्रटिंग, शोरिंग आदि को हटा देगा और हटा देगा, जैसा कि अवसर की आवश्यकता होगी या जब ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, और नियोक्ता/वास्तुकारों की संतुष्टि के लिए कार्यों के निष्पादन के दौरान बाधित सभी मामलों और चीजों को पूरी तरह से बहाल करेगा और ठीक करेगा।

ठेकेदार को साइट पर ऐसी अस्थायी सड़कें भी बनानी होंगी जो अनुबंध के उचित निष्पादन और उसकी अपनी सुविधा के लिए आवश्यक हों, लेकिन अन्यथा नहीं। काम पूरा होने पर, ऐसी सड़कों को तोड़ दिया जाएगा और ड्राइंग के अनुसार समतल किया जाएगा, जब तक कि नियोक्ता अन्यथा निर्देश न दे।

ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा नियोजित कर्मचारी या भवन पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को हर समय प्रवेश की अनुमति देनी होगी और ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त और यदि आवश्यक हो तो विशेष मचान, उत्तोलक और सीढ़ियां उपलब्ध करानी होंगी, उन्हें पानी और प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी और नियोक्ता द्वारा निर्देशित किसी भी कार्य में कोई छेद, खांचे आदि छोड़ने या बनाने होंगे, जिससे ऐसे कर्मचारी पाइप, विद्युत तार, विशेष फिटिंग आदि बिछाने या ठीक करने में असमर्थ हों। तदनुसार, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों में उपर्युक्त सभी आकस्मिक कार्य शामिल होंगे।

खण्ड -13: समापन का समय, समय विस्तार और प्रगति चार्ट।

पूरा होने का समय: पूरा काम निर्धारित अवधि के भीतर हर तरह से पूरा किया जाना है। स्वीकृति पत्र की तारीख से 7 **दिनों के भीतर काम शुरू माना जाएगा** । समय अनुबंध का सार है और ठेकेदार द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।

कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि नियोक्ता/वास्तुकार लिखित रूप में यह प्रमाणित न कर दे कि कार्य पूरा हो गया है तथा दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तिथि से प्रारंभ होगी।

समय विस्तार: यदि नियोक्ता/वास्तुकार की राय में कार्य में देरी हो सकती है

a. असाधारण रूप से ख़राब मौसम के कारण या
b. आस-पास के या पड़ोसी मालिकों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के परिणामस्वरूप नियोक्ता के निर्देश के कारण या
c. नियोक्ता द्वारा नियुक्त या नामित अन्य ठेकेदारों या कारीगरों के काम या देरी से, जिनका उल्लेख विनिर्देश में नहीं किया गया है या
d. अधिकृत अतिरिक्त या परिवर्धन के कारण या
e. किसी भी प्रकार के कामगारों के एकत्र होने या हड़ताल या तालाबंदी के कारण भवन निर्माण से संबंधित किसी भी व्यापार पर असर पड़ सकता है
f. अन्य कारणों से, जिन्हें नियोक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से परे मानता है, नियोक्ता अनुबंध के लिए अनुमत समय के पूरा होने पर उसके संबंध में पूरा होने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार करेगा। यदि नियोक्ता ऊपर निर्दिष्ट दिन पर साइट का कब्ज़ा देने में विफल रहता है तो पूरा होने का समय उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

ऊपर बताए गए हड़तालों या तालाबंदी की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल नियोक्ता को लिखित सूचना देनी होगी। फिर भी ठेकेदार विलम्ब को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा तथा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से आवश्यक हो तथा ऐसा करने पर नियोक्ता द्वारा ऊपर बताए अनुसार समय बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार के हड़तालों या तालाबंदी के समापन पर नियोक्ता द्वारा कार्य पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की अवधि के बारे में निर्णय (जो निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा) प्रख्यापित किया जाएगा तथा नियोक्ता तब विस्तार दिए जाने की स्थिति में अंतिम समाप्ति तिथि निर्धारित करेगा तथा घोषित करेगा। ऐसे मामले में परिसमाप्त क्षति के भुगतान के संबंध में खंड-15 में प्रावधान को इस प्रकार पढ़ा और समझा जाएगा मानो नियोक्ता द्वारा निर्धारित विस्तारित तिथि को प्रतिस्थापित कर दिया गया हो तथा क्षति की राशि तदनुसार काट ली जाएगी।

कार्य की प्रगति: - निर्माण की अवधि के दौरान ठेकेदार को कार्य शुरू होने से ठीक पहले ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोग्रामर चार्ट के आधार पर आनुपातिक प्रगति बनाए रखनी होगी और नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा सहमति दी जाएगी। ठेकेदार को पहले से ही दुर्लभ सामग्री की खरीद की योजना भी शामिल करनी चाहिए और उसे प्रोग्रामर चार्ट में दर्शाना चाहिए ताकि परियोजना के पूरा होने में कोई देरी न हो।

खण्ड-14: निश्चित क्षति।

यदि कार्य निर्धारित अवधि के भीतर नियोजक/वास्तुकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा नहीं किया जाता है, तो ठेकेदार नियोजक को नीचे दी गई राशि का भुगतान परिसमाप्त क्षति के रूप में करने के लिए बाध्य होगा, न कि दंड के रूप में, जिसके दौरान कार्य समाप्ति तिथि की समाप्ति के बाद भी टिप्पणी नहीं की जाती है या अधूरा रहता है।

a. प्रति सप्ताह निविदा में दर्शाई गई अनुमानित राशि का 1%, स्वीकृत अनुबंधित राशि के 10% की सीमा तक।

खण्ड-15: उपकरण, सामग्री का भंडारण, सुरक्षात्मक कार्य, और साइट कार्यालय की आवश्यकता।

ठेकेदार को अपने प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए अनुमोदित स्थान पर उचित कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी, उसे स्थापित करना होगा और उसका रखरखाव करना होगा। ये कार्यालय अनुदेश नोटिस या संचार प्राप्त करने के लिए सभी उचित समय पर खुले रहेंगे और कार्य पूरा होने पर उन्हें हटा दिया जाएगा तथा बाधित सभी कार्यों को ठीक किया जाएगा।

साइट पर बनाए गए सभी चित्रों को उचित आकार के बोर्ड पर सावधानीपूर्वक लगाया जाना चाहिए और अनुमोदित वैनिश के कोट से ढंकना चाहिए। उन्हें दीमक, चींटियों और अन्य कीड़ों के कहर से बचाना चाहिए।

ठेकेदार को कार्य के लिए आवश्यक सभी कृत्रिम रोशनी स्वयं के खर्च पर उपलब्ध करानी होगी तथा अन्य ठेकेदारों एवं उप-ठेकेदारों को निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में सक्षम बनाना होगा।

ठेकेदार को चौकीदार के लिए उपयुक्त अस्थायी झोपड़ी उपलब्ध करानी होगी तथा जब उसकी आवश्यकता न हो तो उसे हटा देना होगा तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, रोशनी आदि उपलब्ध करानी होंगी।

ठेकेदार को श्रमिकों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के उपयोग के लिए अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी तथा उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार स्वच्छ और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में रखना होगा और जब भी आवश्यक हो, ऐसे शौचालयों और गंदगी को साफ करवाना होगा तथा इन सुविधाओं द्वारा वितरित सभी कार्यों को ठीक करना होगा।

निर्माण के दौरान ठेकेदार को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए हर एहतियात बरतनी होगी और पानी के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी बर्तन, कुण्ड, पानी की टंकियाँ आदि को मच्छरों के प्रजनन से उचित रूप से सुरक्षित रखना होगा। ठेकेदार को मलेरिया रोधी उपायों के संबंध में नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

ठेकेदार किसी भी प्रकार का कोई भी प्लेकार्ड या विज्ञापन नहीं लगाएगा या नहीं लगाएगा, तथा नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बोर्डिंग, गैन्ट्री, भवन संरचना के अलावा किसी अन्य स्थान पर उसे लगाने या लगाने की अनुमति नहीं देगा।

सुरक्षात्मक उपाय:- ठेकेदार को साइट पर कब्जा मिलने के समय से ही कार्य, साइट और आसपास की संपत्ति की निगरानी, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के लिए दिन में, तथा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन रात में उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।

ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के दौरान भवन, सड़क या आम जनता को होने वाली किसी भी संभावित क्षति के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देनी होगी।

ठेकेदार को कार्य और सामग्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक अस्थायी बाड़े, द्वार, प्रवेश द्वार आदि उपलब्ध कराने होंगे तथा आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन और अपनाने होंगे तथा कार्य पूरा होने पर उन्हें हटाना होगा तथा वितरित सभी कार्यों को ठीक करना होगा।

सामग्री का भंडारण:- ठेकेदार को सामग्री आदि के उचित भंडारण और पर्याप्त सुरक्षा के लिए उचित शेड उपलब्ध कराना होगा और उसका रखरखाव करना होगा तथा साइट पर किए जाने वाले अन्य कार्य जिसमें उप-ठेकेदारों के उपकरण और सामग्री शामिल हैं, को पूरा होने पर हटाना होगा। सीमेंट की लगभग छह सप्ताह की आवश्यकता के लिए सीमेंट गोदाम का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक 10 बैग के ढेर के साथ मानदंडों के अनुसार भंडारण किया जाएगा और प्रत्येक ढेर के लिए दो फीट के मार्ग के साथ चारों ओर दो फीट का उद्घाटन किया जाएगा। संरचना सभी तरफ और ऊपर से जलरोधी होनी चाहिए। सीमेंट को जमीन से एक फीट ऊपर संग्रहीत किया जाना चाहिए और इसमें पक्का उठा हुआ फर्श होना चाहिए।

इसी प्रकार सुदृढ़ीकरण सलाखों को भी जंग लगने से बचाने के लिए जमीन की सतह से ऊपर रखा जाना चाहिए।

उपकरण:- थियोडोलाइट लेवल, प्रिज्मीय कंपास, चेन, स्टील और धातु टेप और कार्यों पर आवश्यक पाए जाने वाले अन्य सभी सर्वेक्षण उपकरण साइट इंजीनियर के निर्देशानुसार इस अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

सभी मापन फीते स्टील के होंगे तथा सुरक्षित रूप से माप लेने के लिए आवश्यक उपयुक्त मचान और सीढ़ियां ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

काम पर लगे मिस्त्री और पर्यवेक्षक हमेशा अपने साथ एक मीटर या दो मीटर का स्टील टेप, 30 मीटर का मापने वाला टेप, एक स्पिरिट लेवल, एक प्लंब बॉब और एक स्क्वायर लेकर चलेंगे और काम की जांच करेंगे कि काम ड्राइंग और विनिर्देशों के अनुसार हो रहा है या नहीं। साइट इंजीनियर ठेकेदार के किसी भी या सभी मापने वाले उपकरणों या औजारों का इस्तेमाल करेगा, जैसा कि वह जांच के लिए चुनता है और अनुबंध पर निष्पादित या निष्पादित किए जा रहे काम का निरीक्षण करता है।

ठेकेदार को अपनी दरों में उप-ठेकेदारों द्वारा उनके कार्य के लिए मचान, उपकरण और संयंत्र आदि के उपयोग हेतु सभी उचित सुविधाओं का प्रावधान करना चाहिए।

खण्ड-16: उपयुक्त प्राधिकारी और स्वामियों की सूचना और पेटेंट।

ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों और किसी भी प्राधिकरण, और/या किसी भी जल, प्रकाश और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के नियमों और उप-नियमों की पुष्टि करनी होगी, जिनके सिस्टम के साथ संरचना को जोड़ने का प्रस्ताव है और ड्राइंग या विनिर्देश से कोई भी बदलाव करने से पहले नियोक्ता/वास्तुकार को प्रस्तावित बदलावों और उन्हें करने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए लिखित नोटिस देना होगा और उस पर निर्देश के लिए आवेदन करना होगा। नियोक्ता/वास्तुकार ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उचित समय के भीतर निर्णय देगा।

ठेकेदार/ठेकेदारों को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं किसी प्राधिकारी को देने की व्यवस्था करनी होगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक अधिकारी को कार्य के संबंध में उचित रूप से देय सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा रसीदें नियोक्ता के पास जमा करानी होंगी।

ठेकेदार को पेटेंट अधिकारों, रॉयल्टी, कार्य के निष्पादन के दौरान भवनों, सड़कों या आम जनता को होने वाली क्षति के सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देनी होगी तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करना होगा तथा नियोक्ता को ऐसी कार्रवाइयों, लागत और व्ययों से सभी प्रकार से सुरक्षित और क्षतिपूर्ति करनी होगी।

खण्ड-17: साइट साफ़ करना और कार्य स्थापित करना

योजना में शामिल साइट को सभी अवरोधों, ढीले पत्थरों और सभी प्रकार के कचरे से मुक्त किया जाएगा। सभी छेद या खोखलेपन, चाहे वे मूल रूप से मौजूद हों या ढीले पत्थरों या सामग्रियों को हटाने से बने हों, उन्हें सावधानीपूर्वक मिट्टी से भरा जाएगा और अपने स्वयं के खर्च पर निर्देशित रूप से समतल किया जाएगा।

ठेकेदार काम की रूपरेखा तैयार करेगा और काम की सही और सही रूपरेखा तैयार करने तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी समय, काम के किसी भी भाग की प्रगति के दौरान कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार नियोक्ता की संतुष्टि के लिए कहे जाने पर अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा। ठेकेदार काम को साइट पर वैकल्पिक स्थितियों में तब तक स्थापित करेगा जब तक कि किसी एक को अंतिम रूप से मंजूरी नहीं मिल जाती और उसके टेंडर में उद्धृत दरों में इसके लिए शामिल होना चाहिए और इस खाते पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

खण्ड-18 : दिनांक.

औसत ग्राउंड लेवल को निकटतम सड़क का मुकुट माना जाएगा, जिसे "डेटाम" के रूप में लिया जाना चाहिए, जो कि नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा अंतिम पुष्टि के अधीन है। ड्राइंग में दिखाए गए सभी स्तरों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

खण्ड-19: बेंचें।
ठेकेदार को सभी मुख्य दीवारों पर उचित बेंचों का निर्माण और रखरखाव करना है, ताकि लाइनों और स्तरों की हर समय सटीक जांच की जा सके।
इन बेंचों में पर्याप्त लंबाई और न्यूनतम 75 मिमी व्यास वाली साल की लकड़ी की चौकी होगी जिसे ईंटों से ढककर जमीन में उचित दूरी पर गाड़ा जाएगा। तार की कीलें साल की लकड़ी की चौकी के शीर्ष पर स्तंभों, दीवारों, नींव की खाइयों के अंदर और बाहर के चेहरों की केंद्र रेखाओं पर गाड़ी जाएंगी, ताकि बेंचों के बीच रेखाएँ खींची जा सकें और खुदाई का सटीक प्रतिच्छेदन हो सके। दीवारों, स्तंभों आदि की केंद्र रेखा को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो किसी भी समय जाँच की जा सकती है।

धारा-20: ठेकेदार को सभी आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटानी होगी।
किसी भी खाई, सीवर, नाली, सेसपूल या अन्य स्थान से निकाली गई मिट्टी, गंदगी या अन्य आपत्तिजनक प्रकृति के पदार्थों को सतह पर जमा नहीं किया जाएगा, बल्कि ठेकेदार द्वारा उसे तुरंत उसके द्वारा निर्धारित स्थान पर ले जाया जाएगा।
ठेकेदार नींव और निर्माण कार्य को पानी से मुक्त रखेगा और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर बिजली या अन्य बिजली से चलने वाले पंप और अन्य संयंत्र उपलब्ध कराएगा और उनका रखरखाव करेगा, जब तक कि इमारत नियोक्ता को सौंप न दी जाए। ठेकेदार नियोक्ता और स्थानीय प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए इस तरह से जमा हुए पानी के निपटान की व्यवस्था करेगा और उसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि वह इस उद्देश्य के लिए अपनी दरों में शामिल नहीं करता है।
खण्ड-21: पहुंच।
नियोक्ता के किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि को सभी उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों पर जहां कार्य के लिए सामग्री तैयार या निर्मित की जा रही है और किसी भी स्थान पर जहां सामग्री रखी गई है या जहां से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, स्वतंत्र पहुंच होगी और ठेकेदार बैंक या उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और जांच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। नियोक्ता के प्रतिनिधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना किसी भी समय अनुमति नहीं दी जाएगी।

खण्ड-22: सामग्री, कारीगरी, नमूने और सामग्री का परीक्षण।
विनिर्देशों में निर्दिष्ट और प्रदत्त सभी कार्य या जो किसी भाग को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए किए जाने की आवश्यकता हो सकती है, विनिर्देशों में निहित और निहित विवरणों के अनुसार और चित्रों द्वारा दर्शाए गए अनुसार या ऐसे अन्य अतिरिक्त विवरणों और निर्देशों के अनुसार संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम और अनुमोदित गुणवत्ता की सामग्रियों के साथ सर्वोत्तम और सबसे अधिक कार्यकुशल तरीके से निष्पादित किए जाएंगे, जो नियोक्ता/वास्तुकारों द्वारा कार्य के निष्पादन के दौरान समय-समय पर दिए जा सकते हैं और उनकी पूरी संतुष्टि के लिए।
नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा अपेक्षित होने पर ठेकेदार को स्वीकृत सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं में या नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा निर्धारित अनुसार अपनी लागत पर सामग्री और कारीगरी पर परीक्षण करना होगा ताकि यह साबित हो सके कि परीक्षण के तहत सामग्री आदि प्रासंगिक आईएस मानक के अनुरूप है या विनिर्देशों में निर्दिष्ट है। सांचे तैयार करने (कंक्रीट क्यूब के मामले में), परिवहन, परीक्षण आदि के लिए आवश्यक शुल्क ठेकेदार को वहन करना होगा। इस खाते पर किसी भी मामले में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
अनुबंध के तहत काम के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्री (जहां अन्यथा वर्णित नहीं है) स्टोर और उपकरण सामान्य चैनल के माध्यम से प्रदान किए जाने चाहिए और इसमें आयात शुल्क, बिक्री कर, चुंगी और अन्य शुल्क शामिल होने चाहिए और अपनी तरह के सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध होने चाहिए और ठेकेदार/ठेकेदारों को काम के उचित और कुशल निष्पादन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। काम को सबसे अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों के नमूने इंजीनियर/वास्तुकार द्वारा निर्देशित होने पर नियोक्ता/वास्तुकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए और ऑर्डर देने से पहले नियोक्ता/वास्तुकार से लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
खराब मौसम के दौरान ठेकेदार को नियोक्ता/वास्तुकार के निर्देशानुसार कंक्रीटिंग और प्लास्टरिंग को कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा और निष्पादन के दौरान सभी कार्यों को चोट से बचाना होगा। बारिश, तूफान या ठेकेदार की लापरवाही के कारण किसी भी कारण से कार्य के किसी भी हिस्से को (निर्माण के दौरान) होने वाली किसी भी क्षति को ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्वीकृत तरीके से ठीक किया जाएगा।

यदि वर्षा, हड़ताल, तालाबंदी या किसी अन्य कारण से कार्य स्थगित हो जाए तो ठेकेदार को कार्य की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी तथा इनमें से किसी भी कारण से होने वाली क्षति की पूर्ति स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

ठेकेदार को सभी नए कार्यों को किसी भी कारण से होने वाले नुकसान से बचाना होगा तथा सभी अस्थायी दरवाजे, खिड़कियों की सुरक्षा तथा कार्य के निष्पादन के लिए अन्य अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करनी होगी, चाहे वह कार्य स्वयं द्वारा किया जाए या किसी विशेष कारीगर या उप-ठेकेदार द्वारा किया जाए तथा किसी भी प्रकार की क्षति की पूर्ति ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी।

खण्ड-23: अनुचित कार्य को हटाना।

नियोक्ता को कार्य की प्रगति के दौरान समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि आदेश में निर्दिष्ट उचित समय या समय के भीतर किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दिया जाए, जो नियोक्ता/वास्तुकार की राय में विनिर्देश या निर्देशों के अनुसार नहीं है, किसी भी सामग्री या कारीगरी के साथ किए गए किसी भी कार्य को प्रतिस्थापित किया जाए जो चित्रों और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है। यदि ठेकेदार आदेश का पालन करने से इनकार करता है, तो नियोक्ता को कार्य करने के लिए अन्य एजेंसियों को नियुक्त करने और भुगतान करने का अधिकार होगा और नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा प्रमाणित किए गए सभी परिणामी या उससे संबंधित व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धन से काटे जा सकते हैं। वास्तुकारों द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र ठेकेदार को खराब कार्य या खराब सामग्री के संबंध में उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

खण्ड.24 साइट इंजीनियर/ परियोजना प्रबंधन सलाहकार.

"साइट इंजीनियर" शब्द का अर्थ है नियोक्ता/वास्तुकार का प्रतिनिधि/व्यक्ति जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा। ठेकेदार साइट इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों की जांच करने तथा कार्य और सामग्रियों की जांच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। साइट इंजीनियर के पास ठेकेदार की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी दिन के कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि नियोक्ता के लिखित आदेश द्वारा ऐसा अधिकार विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता है।

साइट इंजीनियर को ठेकेदार या उसके फोरमैन को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न करने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसे कार्य को निलम्बित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग नियोक्ता के निर्णय प्राप्त होने तक बंद कर दिया जाएगा। समय-समय पर आर्किटेक्ट, नियोक्ता के परिसर विभाग के इंजीनियरों और साइट इंजीनियर द्वारा कार्य की जांच की जाएगी। लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद पाया जा सकता है। इस खंड की सीमाओं के अधीन ठेकेदार केवल आर्किटेक्ट/नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि से ही निर्देश लेगा।

खण्ड.25: ठेकेदार के कर्मचारी।

ठेकेदार को काम के लिए तकनीकी रूप से योग्य और सक्षम पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना होगा जो नियोक्ता/वास्तुकारों के निर्देशों को प्राप्त करने और उनका पालन करने के लिए पूरे कार्य घंटों में उपलब्ध रहेंगे। ठेकेदार को काम के निष्पादन के लिए साइट-इन-चार्ज के रूप में कम से कम एक अनुभवी इंजीनियर को नियुक्त करना होगा। ठेकेदार को काम के सिलसिले में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा जिनके पास अपना काम कुशलतापूर्वक करने के लिए उपयुक्त कौशल या क्षमता हो।

ठेकेदार को यथासंभव कार्य पर स्थानीय मजदूरों को नियुक्त करना होगा।

सोलह वर्ष से कम आयु का कोई भी मजदूर जो भारतीय नागरिक नहीं है, उसे कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि के प्रत्यक्ष आदेश या नियंत्रण के अधीन दिन के आधार पर काम पर लगाए जाने के लिए आपूर्ति किया गया कोई भी श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति माना जाएगा।

ठेकेदार को सभी श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें निम्नलिखित आवश्यकताएं भी शामिल हैं:

i. मजदूरी भुगतान अधिनियम.
ii. नियोक्ता दायित्व अधिनियम.
iii. कामगार मुआवज़ा अधिनियम.
iv. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और केंद्रीय नियम 1971।
v. प्रशिक्षु अधिनियम 1961.
vi. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम.
vii. इससे संबंधित कोई अन्य अधिनियम या अधिनियम तथा समय-समय पर इसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

ठेकेदार नियोक्ता को किसी भी दावे के विरुद्ध सुरक्षित रखेगा तथा क्षतिपूर्ति देगा, यदि कोई कर्मचारी दावा करता है, तथा नियोक्ता द्वारा किसी भी दावे के संबंध में जो भी लागतें और व्यय वहन किए जाएं, उन्हें वहन करेगा।
ठेकेदार को अपने खर्च पर राज्य के किसी स्वास्थ्य अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण या नियोक्ता के आदेश का पालन करना होगा, जिसमें ठेकेदार के मजदूरों के रहने या ठहरने के स्थान के बारे में उचित पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के बारे में कहा गया हो, ताकि चेचक, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम की जा सके। ठेकेदार को पर्याप्त स्वच्छता आवास उपलब्ध कराना होगा, उनका रखरखाव करना होगा और उन्हें अच्छी स्वच्छता की स्थिति में रखना होगा तथा काम पर लगे लोगों के इस्तेमाल के लिए हर समय शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान करनी होगी और काम पूरा होने पर उन्हें हटाना होगा। ठेकेदार को काम पर या उसके आस-पास की जमीन पर किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी।
ठेकेदार को कार्य पर लगे मजदूरों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। उसे साइट पर या उसके आसपास या कार्य निष्पादन के संबंध में किसी दुर्घटना के घटित होने के 24 घंटे के भीतर नियोक्ता को तथा कानून द्वारा अपेक्षित होने पर सक्षम प्राधिकारी को भी ऐसी दुर्घटना की सूचना देनी होगी।

खण्ड 26: कामगारों की बर्खास्तगी

ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर काम से तुरंत ही ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटा देगा जो नियोक्ता की राय में अनुपयुक्त या अक्षम है या जिसने खुद गलत आचरण किया हो। ऐसी बर्खास्तगी नियोक्ता या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मुआवजे या क्षति के लिए किसी भी दावे का आधार नहीं होगी।

खण्ड.27: असाइनमेंट.

अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे तथा ठेकेदार नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग, शेयर या हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, आबंटित या पट्टे पर नहीं देगा और न ही कोई नया साझेदार लेगा तथा कोई उप-पट्टा ठेकेदार को अनुबंध की पूरी और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्य के दौरान उसके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगा।

खण्ड 28: व्यक्तियों को क्षति और संपत्ति बीमा आदि।

ठेकेदार काम या कामगारों को होने वाली सभी चोटों, व्यक्तियों, जानवरों या चीजों तथा संपत्ति के संरचनात्मक और/या सजावटी हिस्से को होने वाली सभी क्षतियों के लिए जिम्मेदार होगा, जो उसके या किसी उप-ठेकेदार या उसके या किसी उप-ठेकेदार के किसी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकती हैं, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुई हो, जो किसी भी तरह से उसके अनुबंध के कार्यान्वयन से जुड़ी हो। इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को होने वाली कोई भी क्षति, चाहे वे तत्काल निकटवर्ती हों या अन्यथा, तथा सड़कों, गलियों, फुटपाथों या मार्गों को होने वाली कोई भी क्षति, साथ ही बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलताओं के कारण इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों और कार्यों को होने वाली क्षति शामिल होगी। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और उपर्युक्त किसी भी चोट या व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी खर्च के संबंध में हानिरहित होगा और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप किसी भी क्षतिपूर्ति या क्षति के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में भी।
ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित प्रत्येक प्रकार की क्षति की भरपाई करेगा, ताकि संपूर्ण अनुबंध कार्य हर दृष्टि से पूर्ण और सही तरीके से पूरा किया जा सके और संपत्ति या तीसरे पक्ष को हुई क्षति के सभी दावों की भरपाई की जा सके या अन्यथा उसे पूरा किया जा सके।
ठेकेदार आवश्यक बीमा कराएगा और नियोक्ता को इस संबंध में सभी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त करेगा। बीमा नियोक्ता द्वारा अनुमोदित कंपनी के साथ रखा जाना चाहिए और ठेकेदार और नियोक्ता के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए और पॉलिसी नियोक्ता के पास जमा की जानी चाहिए। बीमा का दायरा अनुबंध को होने वाले नुकसान या हानि को शामिल करना है जब तक कि यह पूरी तरह से पूरा न हो जाए। बीमा अनिवार्य है और इसे शुरुआती चरण से ही प्रभावी किया जाना चाहिए। ठेकेदार किसी भी ऐसी चीज के लिए भी जिम्मेदार होगा जो किसी भी घटना, लापरवाही या इस अनुबंध के दोषपूर्ण निष्पादन से उत्पन्न होने वाली किसी भी संपत्ति को होने वाले नुकसान से बाहर हो सकती है।
नियोक्ता स्वतंत्र होगा और उसे किसी भी दावे या क्षति के संबंध में उत्पन्न या प्रोद्भूत होने वाली किसी भी क्षति, प्रतिपूर्ति, लागत, प्रभार और व्यय की राशि को ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटने का अधिकार होगा।

खण्ड 29: बीमा.

जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए, ठेकेदार को काम का बीमा करवाना होगा और अनुबंध के वास्तविक समापन तक आग और/या भूकंप, बाढ़ से होने वाले नुकसान या क्षति के विरुद्ध उन्हें बीमाकृत रखना होगा। बीमा नियोक्ता द्वारा

अनुमोदित कंपनी के साथ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में ऐसी राशि के लिए और ठेकेदार को अधिकृत अतिरिक्त के रूप में दी जाने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि के लिए रखा जाना चाहिए।

ठेकेदार को 7 दिनों के भीतर पॉलिसी और भुगतान किए गए प्रीमियम की रसीद नियोक्ता के पास जमा करानी होगी। कार्य आदेश जारी होने की तिथि से (सात) दिन जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए । ठेकेदार द्वारा ऊपर बताए अनुसार बीमा न किए जाने पर, नियोक्ता उसकी ओर से ऐसा बीमा कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को किसी भी देय राशि से काट सकता है या जो ठेकेदार को देय हो सकती है। ठेकेदार को जैसे ही पॉलिसी के तहत दावे का निपटारा हो जाता है या बीमा कंपनी द्वारा काम को बहाल कर दिया जाता है, यदि वे ऐसा करना चुनते हैं, तो उन्हें उसी तरह से काम पूरा करने के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए जैसे कि आग नहीं लगी हो और सभी मामलों में अनुबंध की शर्तों के तहत। आग लगने के बाद फिर से बांधने या बहाल करने के मामले में ठेकेदार को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का अधिकार होगा जैसा कि नियोक्ता उचित समझे।

खण्ड 30: खाते, प्राप्तियां और वाउचर।

नियोक्ता के अनुरोध पर ठेकेदार उन्हें इस अनुबंध के तहत काम के संबंध में आवश्यक सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत आवश्यक सामग्री से कम सामग्री का उपयोग करता है, तो उसे उपयोग करने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा और वास्तव में उपयोग की गई सामग्री के बीच के अंतर का मूल्य उसके बकाया से काट लिया जाएगा। नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा कि उसे इस अनुबंध के तहत किसी भी काम के लिए कितनी सामग्री का उपयोग करना है।

खंड 31. माप

किसी भी कार्य का माप लेने से पहले साइट इंजीनियर या उसके द्वारा नियुक्त अधीनस्थ ठेकेदार को उचित सूचना देगा। यदि ठेकेदार ऐसी सूचना के बाद माप लेने में विफल रहता है या माप की तिथि से एक सप्ताह के भीतर साइट इंजीनियर द्वारा अपेक्षित तरीके से हस्ताक्षर करने या अंतर दर्ज करने में विफल रहता है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में साइट इंजीनियर या उसके द्वारा नियुक्त अधीनस्थ द्वारा लिया गया माप अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा और ठेकेदार को उस पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

खण्ड.32: भुगतान.

सभी बिल ठेकेदार द्वारा नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किए जाएंगे। **आम तौर पर एक अंतरिम बिल** इन दस्तावेजों में बताए गए अंतरिम प्रमाणपत्र के न्यूनतम मूल्य के अधीन तैयार किया जाएगा। उचित प्रारूप में बिलों के साथ किए गए कार्य की मात्रा के समर्थन में विस्तृत माप होना चाहिए और सभी पिछले भुगतानों, प्रतिधारण धन आदि के लिए कटौती दर्शानी चाहिए।

नियोक्ता/वास्तुकार ठेकेदार के बिल की उचित जांच के बाद एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें नियोक्ता से ठेकेदार को देय राशि बताई जाएगी और ठेकेदार इन दस्तावेजों में नामित प्रमाण पत्रों का सम्मान करने की अवधि के भीतर भुगतान पाने का हकदार होगा।

अंतरिम प्रमाणपत्र में बताई गई राशि उचित रूप से निष्पादित कार्य का कुल मूल्य होगी और नियोक्ता द्वारा अनुबंध की सामान्य शर्त के अनुसार प्रतिधारण राशि के रूप में रखी जाने वाली राशि होगी। **नियोक्ता अनुबंध की सामान्य शर्त के अनुसार प्रतिधारण राशि काट लेगा।** प्रतिधारण राशि की वापसी उक्त खंड में निर्दिष्ट अनुसार की जाएगी।

यदि नियोक्ता ने ठेकेदार को कोई सामग्री या सामान की आपूर्ति की है, तो ऐसी किसी भी सामग्री या सामान की लागत, कार्य में खपत की गई मात्रा के अनुसार ठेकेदार को देय राशि से क्रमशः काट ली जाएगी।

सभी अंतरिम भुगतानों को केवल अंतिम भुगतान के विरुद्ध अग्रिम भुगतान के रूप में माना जाएगा, न कि वास्तव में किए गए और पूरे किए गए कार्य के लिए भुगतान के रूप में, और खराब, अस्वस्थ और अपूर्ण या अकुशल कार्य को हटाने और ले जाने और पुनर्निर्माण या फिर से खड़ा करने की आवश्यकता को नहीं रोकेगा या किसी भी तरह से अनुबंध के उचित प्रदर्शन या उसके किसी भी हिस्से की स्वीकृति या किसी भी दावे के उपार्जन के रूप में नहीं माना जाएगा और न ही यह किसी भी तरह से इन शर्तों या उनमें से किसी के तहत नियोक्ता की शक्तियों को अंतिम निपटान और खातों के समायोजन या अन्यथा या किसी भी अन्य तरीके से अनुबंध को प्रभावित या प्रभावित करने के लिए निर्धारित या प्रभावित करेगा।

अंतिम बिल ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा होने की तिथि या साइट इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत किए गए पूर्णता के प्रमाण पत्र की तिथि के एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और भुगतान तीन महीने के भीतर किया जाएगा।

अंतिम भुगतान.

अंतिम बिल के साथ नियोक्ता/वास्तुकार से निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। अंतिम बिल का भुगतान निर्धारित राशि की कटौती के बाद किया जाएगा। जैसा प्रति अनुबंध की सामान्य शर्त, जो राशि नियोक्ता/वास्तुकार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दोष दायित्व अवधि के पूरा होने के बाद वापस कर दी जाएगी कि ठेकेदार ने नियोक्ता/वास्तुकार की संतुष्टि के लिए सभी दोषों को ठीक कर लिया है। ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल के भुगतान की स्वीकृति यह संकेत देगी कि निष्पादित कार्य के संबंध में उसके पास कोई और दावा नहीं होगा।

खण्ड.33: भिन्नता / विचलन.

ऐसी सभी अतिरिक्त वस्तुओं/गैर-निविदा वस्तुओं की कीमत अनुबंध में समान वस्तुओं के लिए उद्धृत दरों के आधार पर या आवश्यकतानुसार श्रम, सामग्री और अन्य घटकों की प्रचलित उचित कीमत के आधार पर इंजीनियरिंग दर विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाएगी। निविदा दरें निविदा मात्रा में किसी भी वृद्धि या कमी के लिए मान्य होंगी।

खण्ड.34: प्रतिस्थापन.

यदि ठेकेदार किसी भी सामग्री और कारीगरी को प्रतिस्थापित करना चाहता है तो उसे ऐसे किसी भी प्रतिस्थापन के लिए नियोक्ता से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस विनिर्देश में अनिश्चित काल के लिए "बराबर" या "अन्य अनुमोदित" आदि जैसे शब्दों द्वारा निर्दिष्ट सामग्री के लिए नियोक्ता से लिखित में विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त की गई है।

खण्ड 35: निर्माण कार्य पूरा होने पर कब्जे और उपयोग के लिए मरम्मत की तैयारी।

ठेकेदार द्वारा पूरे काम का गहन निरीक्षण किया जाएगा और कमियों और दोषों को ठीक किया जाएगा। ऐसे निरीक्षण के पूरा होने पर ठेकेदार नियोक्ता को सूचित करेगा कि उसने काम पूरा कर लिया है और यह निरीक्षण के लिए तैयार है। काम पूरा होने पर ठेकेदार सभी खिड़कियों और दरवाजों की सफाई करेगा, जिसमें अगर आवश्यक हो तो सभी हार्डवेयर, अंदर और बाहर, सभी फर्श, सीढ़ियाँ और इमारत के हर हिस्से की सफाई और तेल लगाना शामिल है। वह पूरी इमारत को साफ-सुथरा और तुरंत कब्जे के लिए तैयार छोड़ देगा और बैंक की संतुष्टि के लिए तैयार करेगा।

खण्ड.36: कार्य पूरा होने पर साइट की सफाई।

कार्य पूरा होने पर ठेकेदार को साइट से सभी निर्माण संयंत्र, अतिरिक्त सामग्री, कूड़ा-कचरा तथा हर प्रकार के अस्थायी कार्यों को हटाना होगा तथा संपूर्ण साइट तथा कार्यों को नियोक्ता/वास्तुकार की संतुष्टि के अनुसार साफ तथा कार्यकुशल स्थिति में छोड़ना होगा।

खण्ड.37: पूरा होने के बाद दोष.

ठेकेदार को अपने खर्च पर तथा नियोजक की संतुष्टि के अनुसार कार्य पूरा होने के **12 महीनों के भीतर आने वाले सभी दोषों, सिकुड़न, अवसादन या अन्य दोषों** को ठीक करना होगा। यदि नियोक्ता ऐसा नहीं करता है तो वह अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है तथा उसे सुधार करने के लिए भुगतान कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप या उससे संबंधित कोई भी क्षति, हानि या व्यय नियोजक द्वारा पूरा किया जाएगा तथा वहन किया जाएगा तथा ऐसी क्षति, हानि और व्यय नियोजक द्वारा उससे वसूल किए जा सकेंगे या नियोजक द्वारा काटे जा सकेंगे, नियोजक द्वारा ऐसे संशोधन और सुधार के बदले में, ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि में से ऐसे कार्य के संशोधन की लागत के बराबर राशि काट ली जाएगी तथा यदि रखी गई राशि अपर्याप्त हो तो, नियोजक द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी व्यय सहित, अनुबंध की सामान्य शर्त के अनुसार रखी गई राशि में से ठेकेदार से वह शेष राशि वसूल की जाएगी।

खण्ड 38 : गुप्त कार्य

जब भी कोई काम मिट्टी, कंक्रीट या दीवारों के बीच में या बाद में पहुंच से बाहर हो जाने पर दबाना हो, तो ठेकेदार को नियोक्ता/वास्तुकार को उचित सूचना देनी चाहिए, ताकि काम का निरीक्षण किया जा सके और ऐसे दफनाने से पहले सही आयाम लिए जा सकें, ऐसा न करने पर नियोक्ता/वास्तुकार की राय में या तो ठेकेदार के खर्च पर माप के लिए जगह खोली जाएगी या ऐसी सामग्री के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि किसी काम के निष्पादन के बाद माप आदि या अन्य मामलों के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, जिसे आसानी से परखा या जांचा नहीं जा सकता है, तो नियोक्ता/वास्तुकार के नोटों को सही माना जाएगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

खण्ड-39:वृद्धि.

उद्धृत दर अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहेगी (यदि कोई समय विस्तार दिया गया हो तो वह भी इसमें शामिल है) तथा सामग्री, श्रम, बिक्री कर, चुंगी आदि की लागत में वृद्धि के कारण इसमें किसी भी प्रकार का उतार-चढ़ाव नहीं होगा, जब तक कि इन दस्तावेजों में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

धारा-40: बेकार श्रम।

कारण चाहे जो भी हो, किसी भी परिस्थिति में निष्क्रिय श्रमिकों, किराये की अतिरिक्त स्थापना लागत तथा औजारों एवं संयंत्रों के श्रम प्रभार के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

खण्ड-41: निलंबन।

यदि ठेकेदार, नियोक्ता पर किसी कानूनी रोक के कारण कार्य को जारी रखने से रोकने के अलावा, या नियोक्ता की राय में, अनुबंध के अपने हिस्से के निष्पादन में उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ने में उपेक्षा या असफल रहता है या यदि वह एक से अधिक बार चूक करता है, तो नियोक्ता को ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देने की शक्ति होगी, जिसमें कार्य को उचित तरीके से और उचित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी, ऐसा नोटिस इस खंड के तहत एक नोटिस होने का दावा करता है।

ऐसा नोटिस दिए जाने के बाद ठेकेदार को कार्य स्थल से या उसके आस-पास की किसी भी भूमि से कोई भी संयंत्र या सामग्री हटाने की स्वतंत्रता नहीं होगी, जो नोटिस दिए जाने की तिथि से तब तक बनी रहे जब तक कि नोटिस का अनुपालन न हो जाए। यदि ठेकेदार नोटिस दिए जाने के सात दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहता है तो धारा 43 (नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति) में दिए गए अनुसार आगे बढ़ना होगा।

खण्ड-42: नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति।

यदि ठेकेदार, एक कंपनी होने के नाते, चाहे स्वैच्छिक या अनिवार्य रूप से परिसमापन में चला जाता है या एक फर्म होने के नाते विघटित हो जाता है या एक व्यक्ति होने के नाते दिवालिया घोषित किया जाता है या अपने लेनदारों की राशि के बड़े हिस्से के लाभ के लिए असाइनमेंट या संयोजन करता है या अपने लेनदारों के साथ एक कार्य या व्यवस्था में प्रवेश करता है, या यदि ठेकेदार के रिसीवर के दिवालियापन में आधिकारिक समनुदेशिती, अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, या यदि न्यायालय द्वारा नियुक्त ठेकेदार की फर्म का रिसीवर, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के चौदह (14) दिनों के भीतर नियोक्ता की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होता है कि वह नियोक्ता अनुबंध को पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा इसके लिए उचित सुरक्षा देने की आवश्यकता होती है, या यदि ठेकेदार निष्पादन जारी होने देता है, या इस अनुबंध के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के लेनदारों द्वारा या उनकी ओर से कुर्क होने देता है या इस अनुबंध को या किसी भी भुगतान को जो देय हो सकता है या जो देय हो सकता है, उसे भारित करता है या सभी का पालन करने और प्रदर्शन करने में उपेक्षा या विफल रहता है इस अनुबंध द्वारा किसी भी कार्य या मामले का ठेकेदार द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद तीन स्पष्ट दिनों के भीतर पालन और प्रदर्शन किया जाना है, जिसमें ठेकेदार को इसका पालन करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता है या वह कार्य करने में अनुचित सामग्री या कारीगरी का उपयोग करेगा या नियोक्ता की राय में ऐसा उचित परिश्रम नहीं करेगा और ऐसी उचित प्रगति नहीं करेगा जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके और नियोक्ता की संतुष्टि के लिए आगे बढ़ने में विफल रहेगा, जिसमें ठेकेदार को ऐसा करने की आवश्यकता है, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है या अनुबंध को छोड़ देगा, तब और उक्त मामलों में से किसी में, बैंक पूर्व छूट के बावजूद लिखित रूप में एक नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण नहीं कर सकता है, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके बिना ठेकेदार के दायित्वों और देनदारियों के नियोक्ता की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, जो पूरी तरह से लागू रहेंगे जैसे कि अनुबंध इस प्रकार निर्धारित नहीं किया गया था और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे (ठेकेदार के पक्ष में किसी भी ट्रस्ट का निर्माण किए बिना) नियोक्ता या उसके एजेंट को आगे बढ़ाते हुए, या नौकर, कार्य में प्रवेश कर सकते हैं और कार्य तथा परिसर या निकटवर्ती भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्रों, औजारों, मचानों, शेडों, मशीनों, भाप और अन्य बिजली, बर्तनों और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकते हैं और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में बेच सकते हैं या कार्यों को चलाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और कर्मचारियों के माध्यम से उन्हें नियोजित कर सकते हैं या कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों को नियोजित कर सकते हैं, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या नियोजित व्यक्तियों को कार्य पूरा करने और खत्म करने या सामग्री और संयंत्रों का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य, बात या चीज नहीं करेगा या नहीं करेगा जब कार्य पूरा हो जाएगा या इसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सके नियोक्ता ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्रों को हटाने के लिए लिखित में नोटिस देगा और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्ति के बाद 14 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में

विफल रहता है तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है और इस प्रकार प्राप्त राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट देगा। किसी अन्य ठेकेदार से कार्य कराने में नियोक्ता द्वारा उठाए गए किसी भी व्यय या हानि को, ठेकेदार को उसके औजारों और संयंत्रों की बिक्री के माध्यम से देय राशि या अन्य ठेकेदार को नियुक्त करने से पहले ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के कारण देय राशि या सुरक्षा जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

खंड-43: मध्यस्थता:

किसी भी प्रकार के सभी विवाद या मतभेद जो किसी भी समय पक्षकारों के बीच इस संविदा के कार्यों या उसके निष्पादन या रख-रखाव से संबंधित या उससे संबंधित अधिकारों या इस संविदा के कार्यों या उसके निष्पादन या रख-रखाव से संबंधित या उससे संबंधित अधिकारों या इस संविदा के कार्यों या उसके निष्पादन या रख-रखाव से संबंधित या उससे संबंधित अधिकारों या निर्माण, शेष संचालन या उसके प्रभाव या पक्षकारों के अधिकारों या दायित्वों से संबंधित या संविदा के उल्लंघन के संबंध में उत्पन्न होंगे (उनके अलावा जिनके संबंध में किसी व्यक्ति का निर्णय संविदा द्वारा अंतिम और बाध्यकारी अभिव्यक्त किया गया है) उनमें से किसी एक द्वारा संविदा को आंशिक रूप से, दूसरे को और इसमें पश्चात उल्लिखित नियोजक को लिखित सूचना देने के पश्चात, इसमें पश्चात उपबंधित अनुसार नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

उपर्युक्त एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियोक्ता नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर ठेकेदारों को तीन (3) व्यक्तियों के नामों का एक पैनल भेजेगा, जो वर्तमान में उस संगठन से संबद्ध नहीं होंगे जिसके लिए कार्य निष्पादित किया गया था।

ठेकेदार उपर्युक्त नामों की प्राप्ति पर किसी भी एक व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए चुनेगा और नामों की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को उसका नाम बताएगा। इसके बाद नियोक्ता बिना किसी देरी के उक्त व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऊपर दिए गए चयन के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, तो प्राधिकारी चयन करेगा और चयनित व्यक्तियों को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा।

यदि नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदार को पूर्वोक्त तीन नामों का पैनल भेजने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियुक्ति प्राधिकारी को तीन (3) व्यक्तियों के नामों का एक पैनल भेजेगा जो किसी भी पक्ष से असंबद्ध होंगे। नियुक्ति प्राधिकारी पूर्वोक्त नामों की प्राप्ति के बाद नामित व्यक्तियों में से किसी एक का चयन करेगा और उसे एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी पैनल की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर व्यक्ति का चयन करने और उसे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने में विफल रहता है और तदनुसार ठेकेदार को सूचित करता है। ठेकेदार पैनल में से किसी एक व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने और नियोक्ता को उसका नाम बताने का हकदार होगा। यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो अथवा किसी भी कारण से अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे दे या अपना पद रिक्त कर दे तो पूर्वोक्त अनुसार एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा।

तथापि, अनुबंध के तहत कार्य मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और ठेकेदार को देय या देय कोई भी भुगतान ऐसी कार्यवाही के कारण रोका नहीं जाएगा।

मध्यस्थ द्वारा प्रथम सुनवाई की तारीख निश्चित करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने की तारीख से ही संदर्भ पर विचार कर लिया गया माना जाएगा।

मध्यस्थ समय-समय पर पक्षों की सहमति से निर्णय देने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

मध्यस्थ अपने पास भेजे गए ऐसे विवाद या मतभेद के संबंध में पृथक निर्णय देगा। मध्यस्थ ऐसे विवाद का निर्णय अनुबंध की शर्तों के अनुसार करेगा तथा युक्तिसंगत निर्णय देगा। मध्यस्थता का स्थान ऐसा स्थान होगा जिसे मध्यस्थ अपने पूर्ण विवेक से निश्चित करेगा।

यदि मध्यस्थ की फीस का भुगतान पंचाट के बनने और प्रकाशित होने से पहले करना अपेक्षित हो तो प्रत्येक पक्ष द्वारा आधी-आधी राशि का भुगतान किया जाएगा। संदर्भ और पंचाट की लागत में मध्यस्थ की फीस शामिल है, जो यह निर्देश दे सकता है कि किसे और किस तरीके से ऐसी लागत या उसका कोई भाग भुगतान किया जाएगा और वह इस प्रकार भुगतान की जाने वाली लागत की राशि निर्धारित या तय कर सकता है।

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधान या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन तथा उसके अधीन बनाए गए और वर्तमान में लागू नियम, इस खंड के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू

होंगे। नियोक्ता और ठेकेदार इस बात पर भी सहमत हैं कि खंड के अधीन मध्यस्थता, उन मामलों के संबंध में अनुबंध के अंतर्गत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी, जिन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति दी गई है।

	निविदा का परिशिष्ट		
क्रम. नहीं	**वस्तु**	**संदर्भ: नाज़ुक दस्तावेज़**	**राशि/अवधि, आदि.**
1.	निविदा शुल्क	नाज़ुक सूचना	**रु. 1,000/-** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डीडी द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में सिवान में देय।
1.	बयाना राशि	नाज़ुक सूचना	**रु. 5,000/-** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डीडी द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में सिवान में देय।
2.	प्रारंभिक सुरक्षा जमा	स्थितियाँ	कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डीडी के रूप में अनुबंध मूल्य का 2% भुगतान, ऐसा न करने पर चालू बिल से नकद जमा राशि काट ली जाएगी।
3.	क) न्यूनतम राशि तृतीय पक्ष बीमा	स्थितियाँ	जारी किए गए कार्य आदेश के पूर्ण मूल्य के लिए, संयुक्त नामों में विस्तारित समय अवधि (यदि कोई हो) सहित कार्य की अवधि के लिए अर्थात ठेकेदार और बैंक ऑफ इंडिया।
	ख) कामगार क्षतिपूर्ति बीमा	स्थितियाँ	जरुरत के अनुसार
4	कार्य आदेश की तिथि से कार्यों के संचालन की अवधि	स्थितियाँ	**07 (सात)** दिन बाद कार्य आदेश के

5	पूरा होने का समय	स्थितियाँ	**07 (सात दिन)**
6	परिसमाप्त राशि क्षति.	स्थितियाँ	प्रति सप्ताह या विलम्ब के सप्ताह के भाग के लिए अनुबंध मूल्य के मूल्य का 1%, अनुबंध मूल्य के 10% की अधिकतम सीमा के अधीन।
7	रखरखाव की अवधि	स्थितियाँ	प्रमाणित आभासी समापन तिथि से 12 महीने।
8	क) अंतरिम प्रमाणपत्र की न्यूनतम राशि किये गए कार्य के मूल्य पर	स्थितियाँ	5.0 लाख
	ख) और उनकी आवधिकता	स्थितियाँ	एक अंतरिम विधेयक
9	प्रारंभिक से अलग अंतरिम प्रमाणपत्र से प्रतिधारण धन का % सुरक्षा जमा राशि।	स्थितियाँ	किये गये कार्य के मूल्य का 10%.
10	अग्रिम राशि का % साइट पर सामग्री.	स्थितियाँ	इस परियोजना के लिए लागू नहीं है.
11	वह समय जिसके भीतर अंतरिम भुगतान आर्किटेक्ट के प्रमाणीकरण के बाद प्रमाण पत्र बनाया जाएगा।	स्थितियाँ	सलाहकार द्वारा प्रमाणीकरण पर 7 दिन।
12	अंतिम प्रस्तुति मापन		प्राधिकरण से प्रमाणित पूर्णता की तारीख से 10 दिनों के भीतर।
13	वह समय जिसके भीतर अंतिम बिल का भुगतान आर्किटेक्ट के प्रमाणीकरण के बाद किया जाएगा		अंतिम बिल के प्रमाणीकरण की तिथि से 15 दिन।
14	अंतिम जारी करने की अवधि प्रमाणपत्र		अंतिम बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर तथा ठेकेदार द्वारा नो क्लेम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
15	सुरक्षा जारी करना जमा करना।		12 महीने की दोष दायित्व अवधि पूरी होने के बाद।
16	मध्यस्थता का स्थान	स्थितियाँ	सिवान
17	न्यायालय का क्षेत्राधिकार.	स्थितियाँ	सीवान.

गवाह 1. _____ 2. _____

तारीख:

जगह:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(कंपनी की मुहर सहित)

अनुबंध की विशेष शर्तें

अनुबंध की विशेष शर्तों का दायरा

अनुबंध की ये विशेष शर्तें हैं:

निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का सामान्य विवरण।

साइट का स्थान निविदाकर्ता के मार्गदर्शन के लिए दिया गया है। हालाँकि निविदाकर्ता को इन सूचनाओं के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा और नियोक्ता खुद को इसकी सत्यता के लिए बाध्य नहीं करता है।

इस निविदा पर लागू अनुबंध की विशेष शर्तों को अनुबंध का हिस्सा बनने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये शर्तें अनुबंध दस्तावेज़ के अन्य भाग में उल्लिखित किसी भी अन्य शर्तों का स्थान लेंगी।

कार्यों के निष्पादन के दौरान कड़ाई से पालन की जाने वाली सामग्री और कारीगरी का विवरण तथा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय।

ए) साइट का स्थान

प्रस्तावित स्थल **सारण जिले के रसूलपुर में स्थित है** , जो अंचल कार्यालय से लगभग **30 किमी दूर है।**

कार्य के दायरे का विवरण

दिया गया कार्य का दायरा सामान्य दिशानिर्देश के लिए है तथा कार्यान्वयन के दौरान इसमें परिवर्तन हो सकता है।

इस अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में विद्युत और डेटा केबलिंग कार्य शामिल हैं।

निविदा दस्तावेजों में शामिल नहीं किए गए लेकिन परियोजना से संबंधित कार्यों का निष्पादन, नियोक्ता द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, ठेकेदार द्वारा उसी इकाई दरों और उनके अनुबंध की शर्तों और नियमों पर किया जाएगा।

निविदा चित्र

निविदा दस्तावेज के साथ चित्रों का एक सेट जारी किया जाता है। यह ठेकेदार के सामान्य मार्गदर्शन के लिए

है ताकि वह विचाराधीन कार्य के प्रकार को देख सके। माना जाएगा कि ठेकेदार ने चित्रों का अध्ययन किया है और शामिल कार्य के बारे में एक विचार बनाया है। ठेकेदार द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए परामर्श वास्तुकार के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जारी किए गए चित्र केवल निविदा उद्देश्य के लिए स्कोप चित्र हैं। सफल निविदाकर्ता को वास्तविक निर्माण चित्र जारी किए जाएंगे। हालाँकि, ये विस्तृत चित्र आर्किटेक्ट के कार्यालय या बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय में दरें उद्धृत करने से पहले देखे जा सकते हैं।

ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा चित्रों पर आधारित सभी धारणाएं स्पष्ट रूप से बतानी होंगी, जो केवल निविदा प्रस्तुत करते समय उसकी मद दरों को प्रभावित करती हैं।

निविदा के समय की गई ऐसी धारणा से उत्पन्न अतिरिक्त भुगतान के किसी भी दावे पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।

नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:

नियोक्ता को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी:

निर्माण उद्देश्यों के लिए बैंक की शाखा द्वारा कार्य स्थल पर एक बिंदु पर जल आपूर्ति प्रदान की जाएगी। आगे भंडारण / वितरण और सभी ऊंचाइयों पर पानी पंप करना ठेकेदार की अपनी जिम्मेदारी होगी। कार्य स्थल पर एक बिंदु पर विद्युत शक्ति - 440 V x 3 चरण x 50 हर्ट्ज प्रदान की जाएगी।

ठेकेदार को अपना मीटर और वितरण व्यवस्था खुद ही करनी होगी, कार्य अवधि के दौरान बिजली बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को अपने खर्च पर उचित आकार और क्षमता की आवश्यक लंबाई के केबल सहित एचआरसी फ़्यूज़ और स्विच के साथ स्विच बोर्ड की व्यवस्था और स्थापना करनी होगी।

ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:

ठेकेदार को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी:

ठेकेदार को अपने कार्य के लिए सभी उपकरण खरीदने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

वह निविदा के साथ विभिन्न उपकरणों के प्रकार और संख्या, उनकी अच्छी कार्यशील स्थिति में क्षमता तथा श्रमिकों की संख्या भी प्रस्तुत करेगा, जिनका उपयोग वह कार्य स्थल पर निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के लिए करेगा।

सभी सामग्रियों जैसे कि फॉल्स सीलिंग बोर्ड, पेंट, तार, स्विच और सभी सहायक उपकरण आदि के नमूने खरीद से पहले अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

मचान दीवारों से स्वतंत्र होना चाहिए। मचान लगाने के लिए दीवार में कोई छेद नहीं होना चाहिए। झूठी छत और विद्युतीकरण कार्यों के लिए स्टेज मचान प्रदान किया जाना चाहिए।

कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी उपकरण, टैकल, मशीनरी, उपकरण, मचान, श्रमिक आदि।

परिचालन की योजना.

कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्त होने के चार दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज सलाहकार को उपलब्ध कराने होंगे।

अस्थायी सुविधाओं के लिए सामान्य व्यवस्था को दर्शाने वाले चित्र ।

सम्पूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सभी उपकरणों सहित निष्पादन की व्यवस्थाएं और विधियां।

कार्यों के विभिन्न मदों के निष्पादन के लिए एक बार चार्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना, जिसमें श्रम, मशीनरी और पर्यवेक्षण कार्मिक जैसे संसाधनों की मात्रा को दर्शाया जाएगा, जिन्हें वह कार्य के प्रत्येक चरण के लिए तैनात करेगा।

यदि परामर्शदाता द्वारा अनुरोध किया जाए तो अनुबंध से संबंधित कोई अन्य विशिष्ट प्रासंगिकता वाली वस्तुएँ।

फर्म मूल्य अनुबंध

ठेकेदार द्वारा उद्धृत कीमतें स्थिर होंगी और अनुबंध की पूरी अवधि और/या उसके विस्तार तक किसी भी प्रकार की वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ठेकेदारों की कीमतों में कार्य अनुबंध पर बिक्री कर (यदि कोई हो) शामिल होना चाहिए, तथा इस मद में कोई अतिरिक्त

कर की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ठेकेदार को दिए गए कार्य के संबंध में वर्तमान में या भविष्य में सरकार और/या स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी दरें, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी या अन्य प्रभार या शुल्क, जो समय-समय पर लागू दरों पर लागू होंगे, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और उनका भुगतान किया जाएगा।
उद्धृत मद दरों में अनुबंध श्रम कानून / बीमा / भविष्य निधि आदि से संबंधित सभी देनदारियों / जिम्मेदारियों को शामिल किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

सामग्री, श्रम, पेट्रोल, डीजल आदि की लागत में वृद्धि के कारण उद्धृत दरों में किसी भी वृद्धि का भार ठेकेदार को उठाना होगा तथा दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त आइटम / विचलित आइटम:

कार्य निष्पादन के दौरान, ठेकेदार को कुछ ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं, जिनकी दरें दरों की अनुसूची में नहीं हैं। जहां तक संभव हो, ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं की दरें निविदा में समान वस्तुओं की दरों से ली जाएंगी।
यदि अतिरिक्त मद दरों की अनुसूची में मदों के समान नहीं है, तो अतिरिक्त मदों की दरें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री, श्रम, उपकरण (केवल ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए) जैसे इनपुट की उचित मूल लागत की गणना करके प्राप्त की जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त मूल लागत में, पर्यवेक्षण, ओवर हेड और लाभ को कवर करने के लिए 15% की अनुमति दी जाएगी ताकि मदों की अंतिम दर पर पहुंचा जा सके।

मानक विनिर्देश

भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित सभी प्रासंगिक कोड और मानक तथा अनुबंध की स्वीकृति से पहले उनके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले सभी अन्य कोड और मानक डिजाइन, कारीगरी, सामग्री की गुणवत्ता और गुणधर्म, परीक्षण और माप के संबंध में लागू होंगे और नियंत्रित करेंगे। भारतीय मानक संस्थान शब्द में कोई भी संशोधित नाम भी शामिल होगा, जिसके तहत निकाय वर्तमान में कार्य कर रहा हो।
रेखाचित्र और विनिर्देशों को एक दूसरे के पूरक माना जाना चाहिए। यदि कोई विसंगति दिखाई देती है या विनिर्देशों या रेखाचित्रों या सामग्रियों या कारीगरी की गुणवत्ता के अर्थ और व्याख्या के रूप में कोई गलतफहमी पैदा होती है, तो उसे आर्किटेक्ट को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा, मात्रा के बिल और विनिर्देश के बीच अर्थ और व्याख्या के रूप में कोई विसंगति या गलतफहमी उत्पन्न होती है, मात्रा का बिल विनिर्देशों को पीछे छोड़ देता है।
वित्तीय देयताओं से संबंधित व्याख्या नियोक्ता के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी।

सामग्री के ब्रांड का उपयोग

इस निविदा में हमने वस्तुओं में उपयोग की जाने वाली सामग्री के विशेष ब्रांड या मेक का उल्लेख किया है। ठेकेदार को यथासंभव केवल इसी सामग्री का उपयोग करना होगा। हालांकि, ऐसी सामग्री की अनुपलब्धता के मामले में, वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करने के लिए लिखित में पूर्व अनुमोदन लेना होगा और ऐसी सामग्री का उपयोग नियोक्ता द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही किया जाएगा।

प्रगति रिपोर्ट

ठेकेदार प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन परामर्शदाता वास्तुकार को पिछली अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें परामर्शदाता/नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक खंड या कार्य के भाग की सभी प्रगति मदों पर अद्यतन संचयी प्रगति तथा पिछले सप्ताह के दौरान की प्रगति दर्शाई जाएगी।

बिलों का मापन

अनुमोदन के लिए प्रभारी सलाहकार के पास जमा करना होगा।
सत्यापन और प्रमाणन में देरी से बचने के लिए, ठेकेदार को निष्पादन के लिए प्रयुक्त ड्राइंग और नियोक्ता/परामर्शदाता

के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से दर्ज माप के आधार पर अंतिम बिल सहित सभी बिल तैयार करने होंगे।
संयुक्त माप लेने के प्रयोजन के लिए, जब भी वास्तुकार द्वारा अपेक्षित हो, ठेकेदार के प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
किसी कार्य मद के लिए माप की विधि के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, जो अनुबंध में शामिल नहीं है, माप की नवीनतम भारतीय मानक विधि के अनुसार माप की विधि का पालन किया जाएगा।

भुगतान की अवधि

ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत **चालू बिल राशि (माप के आधार पर) को परामर्शदाता द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है तथा** प्रस्तुत बिल की प्रारंभिक जांच के बाद कोई तदर्थ भुगतान नहीं किया जाएगा।
जब तक पिछले बिलों का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक किसी भी बिल पर कोई तदर्थ भुगतान प्रमाणित नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार को अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक परिसर में मौजूदा तारों, केबलों आदि को कोई नुकसान न पहुंचे । यदि कोई नुकसान हुआ है तो आर्किटेक्ट के निर्देशों के अनुसार ठेकेदार को उसी नुकसान को ठीक करना होगा। यदि ठेकेदार लिखित नोटिस जारी करने के बाद भी ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा किए गए ऐसे सुधार के लिए बैंक द्वारा किए गए खर्च के लिए बैंक के पास लंबित ठेकेदार के बिल से उचित राशि काट ली जाएगी।
ठेकेदार से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह निर्धारित प्रपत्र पर उचित राशि के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करें। स्टाम्प पेपर की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी ।
निविदा इन निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी और इनके अनुरूप न होने वाली कोई भी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। ये निर्देश निविदा और अनुबंध का हिस्सा होंगे।
प्रत्येक निविदाकर्ता को जारी किए जाने वाले निविदा दस्तावेजों में ये निर्देश, परिशिष्ट के साथ निविदा, अनुबंध की शर्तें, समझौते का प्रारूप, विशेष शर्तें, विनिर्देश, अनुसूचियां, मात्रा का बिल और चित्र शामिल होंगे , जैसा कि विशेष शर्तों में विस्तृत है। प्रत्येक निविदाकर्ता को उपरोक्त निविदा दस्तावेज का एक पूरा सेट दिया जाएगा ।
निविदा को पूर्ण रूप से भरा जाएगा, सभी विवरणों के साथ हस्ताक्षरित किया जाएगा और ऐसा करने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। निविदाकर्ता को नियोक्ता को यह संतुष्टि देनी होगी कि वह निविदा प्रस्तुत करने और/या उस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके नियोक्ता के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए सक्षम और अधिकृत है।
निविदा को उपरोक्त पैरा-2 में निर्धारित सभी दस्तावेजों तथा इन अनुदेशों एवं निविदा दस्तावेजों में अन्यत्र निर्धारित अन्य दस्तावेजों के साथ पूरा किया जाएगा।
को वास्तविक माने जाने के लिए निम्नलिखित को पूरा करना होगा और प्रस्तुत करना होगा ।
निविदा का प्रारूप एवं परिशिष्ट।
मात्रा का बिल और उसका सार तथा अन्य सभी अनुसूचियां, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत् हस्ताक्षर।
निविदाकर्ता को बैंक के पैनल में शामिल विद्युत ठेकेदार से वैध विद्युत लाइसेंस (बिहार राज्य विद्युत द्वारा जारी) के साथ सहमति पत्र दिया जाएगा और इस निविदा में शामिल विद्युत कार्य उसके द्वारा निष्पादित किया जाएगा। लेकिन किसी भी समस्या के मामले में सारी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। विद्युत निरीक्षण, विद्युत भार में वृद्धि और अन्य विद्युत अनुमतियाँ बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार विद्युत ठेकेदार के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसे शुल्कों की लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी और बैंक को आवश्यक चालान प्रस्तुत

करने के बाद भुगतान किया जाएगा।

बिजली और पानी की आवश्यकता.

पिछले निष्पादित समान कार्यों का संदर्भ, जिसमें कार्यों के स्थान का विवरण, उनका परिमाण, समय या निविदा/अनुबंध के अनुसार पूर्णता और वास्तविक पूर्णता, नियोक्ता/वास्तुकार का नाम शामिल है, जिसका संदर्भ दिया जा सकता है ।

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि को निविदाकृत एवं उपलब्ध अन्य कार्यों का ब्यौरा।

नियोक्ता को निविदा में अंकगणितीय या अन्य त्रुटियों को निम्नलिखित सामान्य नियमों के अनुसार समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। उद्धृत शब्दों और आंकड़ों के बीच विसंगति की स्थिति में, शब्दों में वर्णन मान्य होगा। इसी तरह, गलत विस्तार के परिणामस्वरूप राशि कॉलम में त्रुटि होने की स्थिति में, इकाई या आइटम दरों को पक्का माना जाएगा और तदनुसार विस्तार में संशोधन किया जाएगा।

आपूर्ति किए गए किसी भी निविदा दस्तावेज़ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस निविदा को प्रस्तुत करने से निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज़ में निहित नियमों और शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा, सिवाय इसके कि उनमें से किसी में भी वांछित परिवर्तनों को बताते हुए निविदा के साथ संलग्न पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से बदलाव किया गया हो। ऐसे सभी बदलाव एक अलग कथन के रूप में होंगे जो यथासंभव संक्षिप्त होंगे और दस्तावेज़ में आइटम, खंड और पृष्ठों के संदर्भ में होंगे। इसके अलावा,

उसके द्वारा वापस ले ली जाती हैं, तो निविदाकर्ता इस विवरण में निर्धारित निविदा राशि में वृद्धि या कमी का संकेत देगा।

यह मूल्य निर्धारण बिल ऑफ क्वांटिटीज पर आधारित एक आइटम दर माप अनुबंध है। आइटम दर अनुबंध की पूरी अवधि और/या उसके विस्तार के लिए वैध होगी। निविदाकर्ता ध्यान दें कि बिल ऑफ क्वांटिटीज में शामिल कीमतें और दरें प्रत्येक आइटम के तहत वर्णित कार्यों का पूर्ण समावेशी मूल्य होना चाहिए, जिसमें सभी लागत और व्यय शामिल हैं जो कार्यों के निर्माण में और उसके लिए आवश्यक हो सकते हैं। बताया गया है चाहे विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो या नहीं, साथ ही उन सभी सामान्य जोखिमों, देनदारियों और दायित्वों के साथ जो उन दस्तावेजों में निर्धारित या निहित हैं जिन पर निविदा आधारित है। नियोक्ता उन खर्चों या नुकसानों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा या भुगतान नहीं करेगा जो निविदा की तैयारी और प्रस्तुत करने या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में निविदाकर्ता द्वारा उठाए जा सकते हैं। जैसे ही सफल निविदाकर्ता को अनुबंध के पुरस्कार के बारे में सूचित किया जाता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सभी भविष्य के खर्च और सभी कर आदि इस निविदा में उद्धृत कीमतों द्वारा कवर किए गए माने जाएंगे।

निविदा के साथ निविदा सूचना के अनुसार बयाना राशि भी संलग्न करनी होगी। यह बयाना राशि सभी असफल निविदाकर्ताओं को वापस कर दी जाएगी। सफल निविदाकर्ता के मामले में, बयाना राशि अनुबंध के निष्पादन के लिए प्रारंभिक सुरक्षा जमा में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यदि निविदाकर्ता प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

बोलीदाताओं से विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा दस्तावेज के साथ-साथ अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत मुहर लगे निविदा चित्र को एक अलग सीलबंद लिफाफे में संलग्न करें, जिस पर विधिवत "निविदा चित्र" अंकित हो, यदि जारी किए गए चित्र इस निविदा से बंधे नहीं हैं। निविदा चित्र वाले सीलबंद लिफाफे को पहले खोला जाएगा और यदि चित्रों पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मुहर नहीं लगी है और हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, तो ऐसी निविदाओं पर प्रतिस्पर्धी बोली के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

कोई भी निविदाकर्ता, जिसे निविदा दस्तावेजों के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में संदेह हो, उसे तुरंत नियोक्ता/परामर्शदाता वास्तुकार को लिखित स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हुए सूचित करना चाहिए। निविदा दस्तावेज के लिए ऐसा स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण परामर्शदाता वास्तुकार द्वारा प्रत्येक निविदाकर्ता को औपचारिक परिशिष्ट के रूप में जारी किया जाएगा, जिसने निविदा दस्तावेज खरीदे हैं और ऐसा परिशिष्ट निविदा दस्तावेज का हिस्सा बन जाएगा और इसे शामिल करके वापस कर दिया जाएगा।

निविदा के साथ प्रस्तुत सभी दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होने चाहिए। यदि किसी अन्य भाषा में है, तो उसे तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका प्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद न हो। सभी आयाम मीट्रिक इकाइयों में होने चाहिए।

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से निर्दिष्ट दिनों तक वैध रहेगी जब तक कि निविदा सूचना में अन्यथा निर्धारित न किया गया हो। इस अवधि के भीतर अपनी निविदा वापस लेने या उसमें संशोधन करने वाले किसी भी निविदाकर्ता को नियोक्ता को अपनी बयाना राशि जब्त करनी होगी और उसकी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निविदा देने से पहले, निविदाकर्ता को कार्य स्थल और विस्तृत रेखाचित्र (बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय या आर्किटेक्ट कार्यालय में) का दौरा करना होगा और किसी भी स्थिति में यह माना जाएगा कि उसने ऐसा साइट की प्रकृति और उन परिस्थितियों से परिचित होने के लिए किया है जिनमें कार्य उद्धृत और निष्पादित किया जाना है। साइट का निरीक्षण न किए जाने या विस्तृत ड्राइंग न बनाए जाने के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त दावों को बाद में मान्य नहीं माना जाएगा और न ही उन पर विचार किया जाएगा।

भविष्य में कोई भी कार्य सौंपने से पहले इसे गंभीरता से लिया जा सकता है ।

निविदाकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि नियोक्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्य प्रगति पर होने के दौरान बाद में अन्य संरचनाएं जोड़ सकता है, जिनका उल्लेख वर्तमान में चित्रों में नहीं किया गया है।

ऐसे अतिरिक्त कार्यों के मामले में, अतिरिक्त कार्य के लिए पूरा होने का समय और दरों में संशोधन, यदि कोई हो, नियोक्ता और परामर्शदात्री वास्तुकार के परामर्श से और आपसी सहमति के अनुसार उचित रूप से संशोधित और तय किया जाएगा।

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा और चित्रों को ध्यान से पढ़ें। बोलीदाताओं द्वारा विभिन्न वस्तुओं के संचालन के तरीके और दायरे के बारे में की गई सभी धारणाएँ/विविधताएँ प्रस्तुतीकरण के समय स्पष्ट रूप से बताई जाएँगी। संचालन के तरीके/विवरण/वस्तुओं के दायरे, वस्तुओं के मापन के तरीके, यदि कोई हो, के बारे में कोई अस्पष्टता या संदेह प्रस्तुतीकरण के समय से पहले स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए। ऐसी धारणाओं/संदेहों के मामलों के कारण बाद की तिथि में अतिरिक्त भुगतान के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित वस्तु को नियोक्ता/वास्तुकार द्वारा अपेक्षित रूप से संचालित किया जाएगा।

नियोक्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या सबसे कम या किसी अन्य निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

निविदा में शामिल न किए गए विस्तृत विनिर्देश परामर्शदाता वास्तुकार के कार्यालय में उपलब्ध होंगे। यदि कोई संदेह हो तो ठेकेदार परामर्शदाता के कार्यालय में विनिर्देशों के बारे में अपना संदेह दूर कर सकता है।

निविदा दस्तावेजों को सभी प्रकार से पूर्ण करके निविदा आरेखों (यदि कोई हो) तथा अन्य सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ निविदा नोटिस में अपेक्षित रूप से प्रस्तुत तथा वितरित किया जाएगा।

बैंक की शाखा चलाने के लिए अतिरिक्त खंड।

निष्पादित किए जाने वाले कार्य बैंक की चालू शाखा में हैं और सभी मदों को इस तरह से निष्पादित किया जाएगा कि बैंक के चल रहे कार्य या नियमित कार्य में कोई बाधा न आए। इस कारण से कार्य को सामान्य दिन के समय के अलावा अन्य समय पर भी किया जा सकता है; निविदा प्रस्तुत करते समय ऐसी और अन्य बाधाओं पर विचार किया जाना चाहिए। बाद की तिथि या कार्य के किसी भी चरण में कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया जाएगा और ऐसी बाधाओं के सभी प्रभावों को उद्धृत दरों में शामिल माना जाएगा।

निविदाकर्ता को यह जांचना है कि यह निविदा दस्तावेज जिसमें निर्देश, शर्तें, मात्रा का बिल, चित्र आदि शामिल हैं, में कोई अस्पष्टता पाई जाती है तो उसे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले लिखित रूप में बैंक/वास्तुकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए अन्यथा निविदा को निविदाकर्ता की गलती मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सुरक्षा कोड

1. मचान:-

i) सभी कामों के लिए कामगारों के लिए उपयुक्त मचान उपलब्ध कराए जाएंगे जो जमीन से या ठोस निर्माण से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं, सिवाय उन अल्पकालिक कामों के जिन्हें सीढ़ियों से सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो यह अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी या स्टील से बनी कठोर संरचना की होनी चाहिए। सीढ़ियों की न्यूनतम चौड़ाई 450 मिमी और अधिकतम ऊँचाई 300 मिमी होनी चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी या स्टील के उपयुक्त हैंड होल्ड उपलब्ध कराए जाएंगे और सीढ़ी को ¼ से 1 (1/4 क्षैतिज और 1 ऊर्ध्वाधर) से अधिक ढलान नहीं दिया जाएगा।

ii) भूमि तल से 4 मीटर से अधिक ऊँचाई पर मचान या स्टेजिंग, जो किसी ओवरहेड सपोर्ट से झूलती या लटकती हो या स्थिर सपोर्ट के साथ खड़ी हो, उसमें एक रेलिंग होगी जो उचित रूप से बोल्ट, ब्रेस या अन्यथा सुरक्षित होगी जो ऐसे मचान या स्टेजिंग के फर्श या प्लेटफॉर्म से कम से कम 1 मीटर ऊपर होगी और बाहरी और उसके सिरों की पूरी लंबाई के साथ-

साथ केवल ऐसे उद्घाटन के साथ फैली होगी जो सामग्री की डिलीवरी के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ऐसे मचान या स्टेजिंग को इस तरह से बांधा जाएगा कि यह इमारत या संरचना से बाहर न निकल सके।

iii) कार्य मंच, गैंगवे और सीढ़ी का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वे अनावश्यक रूप से या असमान रूप से झुके नहीं और यदि मंच, गैंगवे या सीढ़ी की ऊंचाई जमीन या फर्श स्तर से 4 मीटर से अधिक है, तो उन्हें बारीकी से बोर्ड किया जाएगा और उनकी चौड़ाई पर्याप्त होगी तथा उन्हें उपयुक्त रूप से बाड़ लगाई जाएगी जैसा कि ऊपर (ii) में वर्णित है।

iv) किसी भवन के फर्श या कार्य मंच में प्रत्येक खुले स्थान पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से बचाव के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर होगी। जहां कहीं भी जमीन में खुली खुदाई हो, वहां उपयुक्त रेलिंग लगाकर बाड़ लगाई जाएगी तथा रात में खतरे के संकेत लगाए जाएंगे ताकि लोगों को खुदाई में फिसलने से रोका जा सके।

v) सभी कार्य स्थलों तक पहुँचने के लिए सुरक्षित साधन उपलब्ध कराए जाएँगे। प्रत्येक सीढ़ी को सुरक्षित रूप से लगाया जाना चाहिए। कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 9 मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए, जबकि सीढ़ी के दोनों किनारों के बीच की चौड़ाई 3 मीटर तक की लंबाई वाली सीढ़ी के लिए 290 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए। लंबी सीढ़ियों के लिए यह चौड़ाई प्रत्येक अतिरिक्त मीटर लंबाई के लिए कम से कम 20 मिमी बढ़ाई जानी चाहिए।

vi) उपयोग के लिए प्रस्तावित सीढ़ियों और मचानों का एक स्केच तैयार किया जाएगा और निर्माण से पहले इंजीनियर की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

अन्य सुरक्षा उपाय

vii) प्लांट साइट के भीतर काम करने वाले ठेकेदार के सभी कर्मियों को सुरक्षा हेलमेट प्रदान किए जाएंगे। वेल्डिंग का काम करते समय सभी वेल्डर वेल्डिंग गॉगल्स पहनेंगे और सभी धातुकर्मियों को सुरक्षा दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। धातु काटने और पीसने के काम में लगे लोगों को सुरक्षा चश्मा पहनना होगा।

viii) विद्युत उपकरणों से होने वाले खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। किसी भी कार्य स्थल पर कोई भी सामग्री इस तरह से नहीं रखी जाएगी या ढेर नहीं की जाएगी जिससे किसी व्यक्ति या जनता को खतरा या असुविधा हो।

उत्खनन एवं खाई खोदना

ix) 1.25 मीटर या उससे अधिक गहराई वाली सभी खाइयों में हर समय 30 मीटर लंबाई या उसके अंश के लिए कम से कम एक सीढ़ी लगाई जाएगी। सीढ़ी को खाई के तल से जमीन की सतह से कम से कम 1 मीटर ऊपर तक बढ़ाया जाएगा। 1.5 मीटर या उससे अधिक गहराई वाली खाइयों के किनारों को उपयुक्त ढलान देने के लिए पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा या लकड़ी के ब्रेसिंग से मजबूती से बांधा जाएगा ताकि किनारों के गिरने का खतरा न रहे। खोदी गई सामग्री को खाई के किनारों से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के भीतर नहीं रखा जाएगा, जो भी अधिक हो। कटाई ऊपर से नीचे की ओर नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अंडरमाइनिंग या अंडरकटिंग नहीं की जाएगी।

x) ठेकेदार कार्य स्थल पर जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उपाय करेगा तथा उपरोक्त सावधानियों की उपेक्षा के कारण किसी व्यक्ति को लगी चोट के लिए प्रत्येक वाद, कार्रवाई या अन्य कानूनी कार्यवाही के बचाव का खर्च वहन करने के लिए बाध्य होगा तथा ठेकेदार की सहमति से ऐसे किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जिससे ऐसे किसी व्यक्ति के किसी दावे पर समझौता किया जा सके।

तोड़फोड़

xi) किसी भी विध्वंस कार्य के शुरू होने से पहले और कार्य की प्रक्रिया के दौरान:

कार्य स्थल के आस-पास की सभी सड़कें और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे या उपयुक्त रूप से संरक्षित कर दिए जाएंगे।

कोई भी विद्युत केबल या उपकरण जो ऑपरेटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले केबल या उपकरण पर खतरे का स्रोत हो सकता है, विद्युत रूप से आवेशित नहीं रहेगा।

आग, विस्फोट या बाढ़ के जोखिम से नियोजित व्यक्तियों को बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।

इमारत का कोई भी फर्श, छत या अन्य हिस्सा मलबे या सामग्री से इतना भरा नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

इंजीनियर द्वारा पर्याप्त समझे जाने वाले सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण साइट पर कार्यरत व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध रखे जाने चाहिए तथा उन्हें तत्काल उपयोग के लिए उपयुक्त स्थिति में

बनाए रखा जाना चाहिए, तथा ठेकेदार को संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपकरणों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

डामर सामग्री, सीमेंट और चूना मोर्टार के मिश्रण पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और सुरक्षात्मक चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे।

सफेदी करने तथा सीमेंट की बोरियों या आंखों के लिए हानिकारक किसी भी सामग्री को मिलाने या ढेर लगाने में लगे लोगों को सुरक्षात्मक चश्में उपलब्ध कराए जाएंगे।

वेल्डिंग कार्य में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक दृष्टि ढक्कन उपलब्ध कराए जाएंगे।

पत्थर तोड़ने वालों को सुरक्षात्मक चश्मा और सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उन्हें पर्याप्त सुरक्षित अंतराल पर बैठाया जाएगा।

जब श्रमिकों को सीवरों और मैनहोलों में नियोजित किया जाता है, जो उपयोग में हैं, तो ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों को मैनहोल में जाने की अनुमति देने से पहले मैनहोल के ढक्कन खोले जाएं और कम से कम एक घंटे तक हवादार किया जाए तथा इस प्रकार खोले गए मैनहोलों को उपयुक्त रेलिंग से घेर दिया जाएगा और जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए चेतावनी संकेत या बोर्ड लगाए जाएंगे।

ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और महिलाओं को किसी भी रूप में सीसा या किसी भी विषाक्त पदार्थ से बने उत्पादों से पेंटिंग के काम पर नहीं लगाएगा। जहाँ भी 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को ऐसी पेंटिंग के काम पर लगाया जाता है, वहाँ निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जानी चाहिए:

लेड या लेड उत्पादों वाले किसी भी पेंट का इस्तेमाल पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाना चाहिए। विनाइल और इपॉक्सी जैसे पेंट जिनमें ज़हरीले धुएं होते हैं, उन्हें निर्माताओं द्वारा बताई गई सभी सावधानियों का पालन करने के बाद ही लगाया जाना चाहिए।

जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या सीसा पेंट वाली सतह को सूखाकर रगड़ा और खुरच कर हटाया जाता है, तो श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ठेकेदार द्वारा कामगारों को ओवरऑल उपलब्ध कराए जाएंगे तथा काम बंद होने के दौरान काम करने वाले पेंटरों को कपड़े धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

जब कार्य किसी सार्वजनिक स्थान के निकट किया जा रहा हो, जहां डूबने का खतरा हो, तो सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा उन्हें उपयोग के लिए तैयार रखा जाना चाहिए तथा खतरे में पड़े किसी भी व्यक्ति को तुरंत बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए तथा कार्य के दौरान लगने वाली सभी संभावित चोटों के लिए तुरंत प्राथमिक उपचार की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

उत्थापन मशीनें

1) उत्थापक मशीनों और उनके संलग्नक, लंगर समर्थन सहित उपकरणों का उपयोग नियमों के अनुरूप होगा निम्नलिखित मानकों या शर्तों के अधीन:

क) ये अच्छे यांत्रिक निर्माण, ठोस सामग्री और पर्याप्त ताकत और मुक्त होंगे

पेटेंट दोष से मुक्त किया जाना चाहिए तथा अच्छी मरम्मत और अच्छी कार्यशील स्थिति में रखा जाना चाहिए।

ख) सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे उतारने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक रस्सी टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत और पेटेंट दोषों से मुक्त।

2) प्रत्येक क्रेन चालक या उत्थापन उपकरण संचालक को समुचित योग्यता प्राप्त होनी चाहिए तथा 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति उत्थापन मशीन, जिसमें मचान चरखी भी शामिल है, का प्रभारी नहीं होगा तथा संचालक को संकेत नहीं देगा।

3.) प्रत्येक उत्थापन मशीन और उत्थापन में या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक चेन रिंग हुक, शैकल शॉवल पुली ब्लॉक के मामले में सुरक्षित कार्य भार को पर्याप्त साधनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक उत्थापन मशीन और ऊपर उल्लिखित सभी गियर को सुरक्षित कार्य भार के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा। परिवर्तनशील सुरक्षित कार्य भार वाली उत्थापन मशीन के मामले में, प्रत्येक सुरक्षित कार्य भार और जिन शर्तों के तहत यह लागू होता है, उन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। इस पैराग्राफ में ऊपर उल्लिखित किसी भी मशीन या गियर का कोई भी हिस्सा परीक्षण के उद्देश्य को छोड़कर सुरक्षित कार्य भार से अधिक लोड नहीं किया जाएगा।

4. विभागीय मशीनों के मामले में, सुरक्षित कार्य भार इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। ठेकेदार की मशीनों के संबंध में, ठेकेदार जब भी कोई मशीनरी कार्य स्थल पर लाएगा, तो उसे मशीन के सुरक्षित कार्य भार के बारे में इंजीनियर को सूचित करना होगा तथा संबंधित इंजीनियर से इसका सत्यापन करवाना होगा।

मोटर, गियरिंग, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक वायरिंग और होइस्टिंग उपकरणों के अन्य खतरनाक हिस्सों को कुशल सुरक्षा कवच प्रदान किए जाने चाहिए। आवास उपकरणों को ऐसे साधन प्रदान किए जाने चाहिए जो निलंबित लोड के किसी भी हिस्से के दुर्घटनावश विस्थापित होने के जोखिम को न्यूनतम तक कम कर दें। जब श्रमिकों को पहले से ही सक्रिय विद्युत प्रतिष्ठानों पर काम पर रखा जाता है, तो उन्हें इन्सुलेटिंग मैट, दस्ताने, आस्तीन और जूते जैसे पहनने के कपड़े प्रदान किए जाने चाहिए। श्रमिकों को कोई अंगूठी, घड़ी नहीं पहननी चाहिए और चाबियाँ या अन्य सामग्री नहीं रखनी चाहिए जो बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं।

यहां उल्लिखित या वर्णित सभी मचान, सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा उपकरण सुरक्षित स्थिति में बनाए रखे जाएंगे और उपयोग में होने के दौरान किसी भी मचान, सीढ़ी या उपकरण को बदला या हटाया नहीं जाएगा।

कार्यस्थल पर या उसके निकट पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इन सुरक्षा प्रावधानों को कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाना चाहिए। सुरक्षा कोड के अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ठेकेदार द्वारा उसमें दर्ज किया जाएगा।

सुरक्षा एहतियात से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा की गई व्यवस्थाएं श्रम अधिकारी, विभाग के इंजीनियरों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

सामान्य कार्यों के लिए विनिर्देश

यह विनिर्देश सामान्य भवन निर्माण कार्यों के लिए सामान्य आवश्यकता को कवर करता है जैसे कि चिनाई, प्लास्टरिंग, फर्श, सुरक्षा, वॉटरप्रूफिंग, दरवाजे, पेंटिंग और इस कार्य का हिस्सा बनने वाले ऐसे अन्य संबंधित कार्य, जिन्हें ऊपर विशेष रूप से उल्लेख नहीं किए जाने के बावजूद भी पूरा किया जाना आवश्यक हो सकता है। ठेकेदार को कार्य करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, श्रम, उपकरण, संयंत्र, कोई भी और सब कुछ उपलब्ध कराना होगा।

इस अनुबंध के दायरे में विद्युत और डेटा केबलिंग कार्य के लिए तकनीकी विनिर्देश प्रचलित सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देश के अनुसार होंगे। यदि प्रासंगिक (नवीनतम संशोधन के साथ) आईएस कोड के साथ इसमें शामिल नहीं है तो अनुबंध बनाने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ संयोजन में पढ़ा जाएगा: अर्थात, निविदा का प्रारूप, निविदा सूचना, समझौते के लेख, और अनुबंध की सामान्य शर्तें, मात्रा का बिल और चित्र।

01. ईंट का काम:

a) ईंटें प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होंगी। वे ठोस, कठोर, बनावट में समरूप, अच्छी तरह से पकी हुई, टेबल मोल्डेड, गहरे लाल, चेरी या तांबे के रंग की, नियमित आकार और माप की होंगी और उनके नुकीले और चौकोर किनारे और समानांतर चेहरे होंगे। 24 घंटे से अधिक समय तक पानी में भिगोए जाने पर वे अपने वजन के 1/6 वें हिस्से से अधिक पानी को अवशोषित नहीं करेंगे । ईंटों की न्यूनतम क्रशिंग ताकत 50 किलोग्राम / वर्ग सेमी होनी चाहिए, जब तक कि ड्राइंग में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। ईंटों की श्रेणियाँ और गुणवत्ता IS: 3102 में निर्धारित की गई होंगी और उनके आकार IS: 1077 के अनुसार होंगे। यदि मांग की जाती है, तो ईंटों के नमूनों का परीक्षण IS: 3495 के अनुसार किया जा सकता है।

b) ईंटों की चिनाई के लिए मोर्टार IS: 2250 के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। रेत मिट्टी, शेल, दोमट, क्षार और कार्बनिक पदार्थ से मुक्त होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो रेत को तब तक धोया जाना चाहिए जब तक कि यह किसी भी संदूषण से मुक्त न हो जाए। एक बार तैयार मोर्टार को मिश्रण के 45 मिनट के भीतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट अवधि में अप्रयुक्त छोड़े गए मोर्टार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

c) सभी ईंटों को बिछाने से ठीक पहले कम से कम एक घंटे के लिए साफ पानी में अच्छी तरह से भिगोया जाना चाहिए। 230 मिमी और उससे अधिक ईंट का काम अंग्रेजी बॉन्ड में किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। 115 मिमी ईंटवर्क स्ट्रेचर के साथ बिछाया जाएगा। ईंट को सबसे ऊपर फ्रॉग के साथ बिछाया जाएगा। सभी ईंटवर्क सीधा, चौकोर और दिखाए गए आयाम के अनुसार होना चाहिए। वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में ऊर्ध्वाधर जोड़ सीधे एक दूसरे के ऊपर आएंगे और लाइन में होंगे। क्षैतिज पाठ्यक्रम को समतल किया जाना चाहिए।

d) कारीगरी IS: 2212 के अनुरूप होगी।
ईंटों को इस तरह बिछाया जाना चाहिए कि सभी जोड़ गारे से अच्छी तरह भर जाएं। जोड़ों की मोटाई 6 मिमी से कम और 10 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब गारा अभी भी हरा हो, तो चेहरे के जोड़ों को कम से कम 12 मिमी की गहराई तक रेक किया जाना चाहिए, ताकि प्लास्टर या पॉइंटिंग के लिए उचित कुंजी प्रदान की जा सके।

e) मापन IS 1200 के अनुसार किया जाएगा।

02. सीमेंट प्लास्टर कार्य:

जिस सतह पर प्लास्टर किया जाना है, उसे साफ पानी से धोया जाना चाहिए, उस पर कोई गंदगी, ग्रीस, ढीली सामग्री आदि नहीं होनी चाहिए और प्लास्टरिंग का काम शुरू करने से पहले 6 घंटे तक अच्छी तरह गीला किया जाना चाहिए। हालांकि, जिस कंक्रीट सतह पर प्लास्टर किया जाना है, उसे सूखा रखा जाएगा।

a) मोर्टार का अनुपात कार्य की संबंधित मदों में निर्दिष्ट अनुसार होगा। सीमेंट रेत और पानी की गुणवत्ता प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार होगी। इस प्रकार मिश्रित मोर्टार का तुरंत उपयोग किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में पानी के साथ मिश्रण करने के बाद 30 मिनट से अधिक समय तक खड़े रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि विनिर्देशों द्वारा आवश्यक हो, तो मोर्टार में आवश्यक मात्रा में वॉटरप्रूफिंग यौगिक मिलाया जाना चाहिए।

b) प्लास्टर को ठीक करने का काम तब शुरू किया जाना चाहिए जब लगाया गया प्लास्टर इतना सख्त हो जाए कि वह खराब न हो। प्लास्टर को ठीक करने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए और इसे कम से कम 7 दिनों तक किया जाना चाहिए।

c) प्लास्टर:- यह प्लास्टर 10 मिमी मोटाई के एक ही कोट में लगाया जाएगा। तैयार सतह पर ट्रॉवेल से मोर्टार छिड़का जाएगा और नीरू (बुझा हुआ मोटा चूना) से खत्म किया जाएगा।

d) बाहरी प्लास्टर:- यह 2 परतों में किया जाएगा, पहली परत 10 मिमी मोटी और दूसरी 6 मिमी मोटी होगी। पहले या स्क्रैच कोट को कम से कम 7 दिनों तक ठीक किया जाना चाहिए और फिर सूखने दिया जाना चाहिए। दूसरे कोट के आवेदन से पहले स्क्रैच कोट को समान रूप से नम किया जाना चाहिए। दूसरा कोट ऊपर से नीचे की

ओर और बिना किसी जोड़ के लगाया जाना चाहिए। फिनिशिंग कार्य के लिए रेत एक समान मोटे आकार की होनी चाहिए ताकि स्पोंजिंग पर एक समान फिनिश मिल सके।

e) माप:- उद्घाटन, दरवाजे, खिड़की आदि के लिए आवश्यक कटौती करने के बाद प्लास्टर किए गए क्षेत्र की प्रक्षेपित सतह को लेकर माप लिया जाएगा। दरवाजे, खिड़कियों, उद्घाटनों के जंबों पर किए गए वास्तविक प्लास्टरवर्क को मापा जाएगा और जोड़ा जाएगा। काम की वस्तुओं की सतह पर किए गए प्लास्टरवर्क, जिसमें चिकनी/फॉर्म फिनिश शामिल है, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

03. जलरोधी मिश्रण:

यदि वास्तुकार द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो ठेकेदार कंक्रीट या प्लास्टर कार्य में प्रतिष्ठित निर्माता द्वारा निर्मित अनुमोदित वॉटरप्रूफिंग मिश्रण का उपयोग करेगा। उपयोग की जाने वाली मात्रा आदि निर्माता के निर्देशों के अनुसार होगी, जो इंजीनियर की स्वीकृति के अधीन होगी। इन मिश्रणों में कैल्शियम क्लोराइड नहीं होना चाहिए, जब तक कि इंजीनियर द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए और यह IS: 2645 के अनुरूप होना चाहिए। भुगतान ऐसे मिश्रण की वास्तविक मात्रा के अनुसार किया जाएगा, जब तक कि यह पहले से ही संबंधित कार्य के लिए दरों में शामिल न हो।

05. फ़्लोरिंग:- फ़्लोरिंग की सामग्री बिल ऑफ़ क्वांटिटी में निर्दिष्ट अनुसार होगी। फ़्लोरिंग के लिए माप तैयार सतहों के बीच स्पष्ट होना चाहिए। कॉलम, प्रोजेक्शन, उपकरण नींव, उद्घाटन आदि के लिए कटौती की जाएगी।

06. बढ़ईगीरी:- सभी सामग्रियां जैसे: प्लाईवुड, लेमिनेट, कांच, ग्रेनाइट, चिपकने वाले पदार्थ, लकड़ी आदि विनिर्देश के अनुसार होनी चाहिए।

07. पेंटिंग:- काम के विभिन्न मदों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पेंट स्वीकृत मेक और रंग का होना चाहिए। किए गए काम की वास्तविक मात्रा को खुले स्थानों आदि के लिए कटौती करने के बाद वर्ग फुट में मापा जाएगा और जब तक कि अनुबंध मद दर में पेंटिंग शामिल न हो, तब तक उसका भुगतान किया जाएगा।

सफेदी:- सफेदी लगाने से पहले सतह को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले साधारण मोटे चूने को कम से कम 2 दिनों तक पानी की अधिक मात्रा में भिगोया जाना चाहिए। फिर इसे कपड़े से छान लिया जाना चाहिए और प्रत्येक Cu.M चूने के लिए 2 kg साफ गोंद मिलाया जाना चाहिए।

a) **रंग धुलाई:**

आवश्यक और स्वीकृत रंग को सफ़ेद धुलाई (ऊपर) में मिलाया जाएगा। दिन भर के काम के लिए पर्याप्त धुलाई ही तैयार की जाएगी।

b) डिस्टेंपरिंग:

उपचारित की जाने वाली सतह को सभी गंदगी और ढीले कणों आदि से अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए। असमानताओं और छिद्रों को जिप्सम से भर दिया जाना चाहिए, जिसे डिस्टेंपर लगाने से पहले सख्त होने दिया जाना चाहिए।

प्राइमर के एक कोट के ऊपर दो कोट में एक चौड़ा सख्त ब्रश स्वीकृत मेक का डिस्टेंपर लगाएगा। पहला कोट हल्के रंग का होगा।

जल-बद्ध और तेल-बद्ध डिस्टेंपर क्रमशः IS: 427 और IS: 428 की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे।

घ) **सीमेंट पेंट:**

निर्माता द्वारा निर्दिष्ट अनुसार स्वीकृत गुणवत्ता और रंग का सीमेंट पेंट भवन के बाहरी भाग पर 2/3 कोट में लगाया जाना चाहिए। सीमेंट पेंट लगाने से पहले आधार सतह को ब्रश किया जाना चाहिए, साफ किया जाना चाहिए और गीला किया जाना चाहिए। पेंट के प्रत्येक कोट को निर्माता द्वारा निर्दिष्ट अनुसार ठीक किया जाना चाहिए।

a) **प्लास्टिक इमल्शन:**
सभी असमान सतहों को उचित गुणवत्ता वाली पुट्टी का उपयोग करके ठीक किया जाएगा, उसके बाद सतह को सभी धूल, गंदगी और सैंड पेपर से अच्छी तरह से साफ किया जाएगा। प्राइमर का एक कोट और इमल्शन पेंट के दो कोट लगाए जाएंगे। कारीगरी IS: 2395 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

08. <u>दीमक रोधी उपचार</u>

इमारतों के चारों ओर टीलों और मिट्टी का व्यापक उपचार, जिससे कि जमीन, जहां से दीमक आते हैं, और इमारत में मौजूद लकड़ी और अन्य सेल्यूलोज सामग्री के बीच एक रासायनिक अवरोध पैदा हो सके।
उपचार निम्नलिखित के अनुरूप होगा:

आईएस: 6313 (भाग I), 1971 – इमारतों में दीमक रोधी उपाय
आईएस: 6313 (भाग II), 1971 – निर्माण-पूर्व रासायनिक उपचार उपाय।
आईएस: 6313 (भाग III), 1971 – मौजूदा संरचनाओं के लिए उपचार

भुगतान के लिए माप सभी भवनों के प्लिंथ क्षेत्र के अनुसार होगा, लेकिन इसमें संपूर्ण भवन के भीतर आने वाले सभी दरवाजों, खिड़कियों, बल्लियों और अन्य लकड़ी के काम का उपचार भी शामिल होगा।

09 **<u>ग्लेज़िंग:</u>**
कांच बुलबुले, हवा के छेद, खरोंच और अन्य दोषों से मुक्त होना चाहिए। कांच को सही तरीके से काटा जाना चाहिए और ग्लेज़िंग बैंड का उपयोग करके स्थिति में तय किया जाना चाहिए।
काम के दौरान टूटे या चटके हुए सभी शीशों को फिर से लगाया जाना चाहिए। काम पूरा होने पर सभी शीशों को दोनों तरफ से साफ किया जाना चाहिए और सही किया जाना चाहिए।

10 <u>एल्युमीनियम खिड़कियाँ और दरवाजे:</u>
खिड़कियाँ ड्राइंग के अनुसार बनाई जाएँगी। सेक्शन स्वीकृत गुणवत्ता के एनोडाइज्ड एल्युमिनियम के होने चाहिए और भारी किस्म के (जिंदल, हिंडाल्को या समकक्ष) होने चाहिए। दर में ड्राइंग के अनुसार आवश्यक ढांचा, ट्रांसॉम, मुलियन आदि शामिल होंगे। इसमें एंकरिंग के लिए स्क्रू, क्लिप, ट्रैक, बीडिंग, लौवर ब्लेड, रबर गास्केट, एयर कंडीशनर को ठीक करने के लिए प्रावधान (यदि आवश्यक हो) और उचित सीलेंट के साथ सभी अंतरालों को भरना आदि शामिल होंगे। जहाँ आवश्यक हो, टिका और हैंडल भारी-भरकम स्टेनलेस स्टील या पीतल के होने चाहिए। स्टॉपर भारी-भरकम एल्युमिनियम के होने चाहिए। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, ग्लेज़िंग के लिए 5.5 मिमी मोटा स्पष्ट ग्लास इस्तेमाल किया जाएगा।

11 <u>हल्के स्टील ग्रिल्स:</u>
चित्रों के अनुसार ग्रिल बनाने के लिए स्वीकृत गुणवत्ता के हल्के स्टील का उपयोग किया जाएगा। दर में दीवारों या खिड़कियों पर ग्रिल को ठीक करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक एंकर, फ्लैट, ड्रिलिंग, नेलिंग, एंकरिंग आदि शामिल होंगे। इसमें सफाई, स्क्रैपिंग और स्वीकृत गुणवत्ता वाले लाल ऑक्साइड प्राइमर के 2 क्लीट्स लगाना भी शामिल होगा - फिक्सिंग से पहले 1 कोट और ग्रिल को ठीक करने के बाद 1 कोट। फ्लैट और एंकर को छोड़कर, स्थिति में फिक्स करने के बाद कवर किए गए क्षेत्र को भुगतान के लिए मापा जाएगा।

<u>सामान्य मरम्मत</u>

<u>इसमें सामान्य मरम्मत में शामिल वस्तुओं की सामान्य आवश्यकताओं को शामिल किया गया है जैसे कि तोड़ना और छेनी लगाना: सतह की तैयारी और उपचार; बहाली और इलाज, आदि। चूंकि इसमें निर्णय और गिरावट की वास्तविक</u>

सीमा का एक तत्व शामिल है, इसलिए इन पर निश्चित निर्देश केवल वास्तविक निष्पादन के दौरान साइट पर ही दिए जा सकते हैं ।

01 मचान : मचान सुरक्षित और सीधा होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मचान को सहारा देने के लिए दीवारों में छेद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

02 **रेत:** कंक्रीट और प्लास्टर मोर्टार के लिए रेत केवल उचित ग्रेडेशन वाली नदी की रेत होगी। गाद और अन्य अशुद्धियाँ 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुचित रेत को साइट से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए और सलाहकार का निर्णय अंतिम होगा।

क्योरिंग : नए कंक्रीट को कम से कम 2 सप्ताह की अवधि के लिए नम रखा जाना चाहिए। नए प्लास्टर को कम से कम 10 दिनों की अवधि के लिए दिन में कम से कम 3 बार क्योरिंग किया जाना चाहिए। प्लास्टर के पहले कोट को कम से कम 3 दिनों की अवधि के लिए क्योरिंग किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गीले हेसियन कपड़े का उपयोग करके सतह को नम रखा जाना चाहिए।

विद्युत कार्य के लिए तकनीकी विनिर्देश

कार्य की विशेष परिस्थितियाँ विद्युत कार्य:

सभी स्थापनाएं समय-समय पर संशोधित भारतीय विद्युत नियम, 1956 तथा राष्ट्रीय विद्युत संहिता, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होंगी।

कार्य में उपयोग के लिए ठेकेदार द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली सभी सामग्रियों को कार्य में वास्तविक रूप से उपयोग किए जाने से पहले वास्तुकार/परामर्शदाता की वसीयत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

खराब कारीगरी को अस्वीकार किया जा सकता है।

ठेकेदार/उसका पर्यवेक्षक साइट ऑर्डर बुक पर हस्ताक्षर करने तथा उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

सभी मरम्मत और पैचवर्क मूल फिनिश से मेल खाने के लिए और नियोक्ता/वास्तुकार की पूरी संतुष्टि के लिए साफ-सुथरे ढंग से किए जाने चाहिए। काम के निष्पादन के कारण इमारत को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई ठेकेदार को तुरंत अपने खर्च पर करनी होगी।

ठेकेदार को सामग्री के भंडारण तथा निगरानी की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी, यहां तक कि स्थापना के पूरा होने तथा साइट सौंपने की तिथि तक भी।

ठेकेदार को कार्य के लिए आवश्यक सभी सामान्य एवं विद्युत उपकरणों एवं संयंत्रों की व्यवस्था स्वयं अपने खर्च पर करनी होगी।

विद्युत कार्यों के कारण उत्पन्न सभी मलबे को हटा दिया जाएगा तथा कार्य पूरा होते ही ठेकेदार द्वारा साइट को साफ कर दिया जाएगा।

वायरिंग नाली मार्गों को पहले साइट पर चिह्नित किया जाएगा और वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले वास्तुकार/परामर्शदाता से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

कार्य सामान्यतः कार्य सौंपे जाने के समय कार्यसूची के साथ उपलब्ध कराए गए रेखाचित्रों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें वास्तुकार/परामर्शदाता द्वारा कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है।

काम में इस्तेमाल की जाने वाली सभी सामग्री जहाँ भी निर्दिष्ट की गई हो, आईएसआई मार्क में से किसी एक के अनुरूप होनी चाहिए। यदि उपयोग की जाने वाली सामग्री उपरोक्त विनिर्देशों में से किसी एक के अंतर्गत नहीं आती है, तो उसे आर्किटेक्ट से अनुमोदित करवाना चाहिए। जब तक कार्य की अनुसूची में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, ठेकेदार अनुबंध दस्तावेज़ के साथ संलग्न "अनुमोदित सामग्रियों की सूची" के अनुसार काम में सामग्री का उपयोग करेगा। यदि कार्य के निष्पादन के समय ऊपर वर्णित शर्तों के तहत सामग्री का विशेष ब्रांड उपलब्ध नहीं है, तो सामग्री का वैकल्पिक ब्रांड जिसे उपयोग करने से पहले आर्किटेक्ट/परामर्शदाता से अनुमोदित करवाना होगा।

स्विच फ़्यूज़ इकाइयाँ

स्विच फ्यूज इकाइयां सभी प्रकार से IS: 4047 और IS: 4064 का अनुपालन करेंगी।

स्विच फ़्यूज़ यूनिट डबल ब्रेक आयरन क्लास या शीट स्टील टाइप की मज़बूत डिज़ाइन वाली होनी चाहिए जिसमें लोड ब्रेड ड्यूटी के लिए उपयुक्त क्विक ब्रेक मैकेनिज़्म हो और जहाँ निर्दिष्ट हो वहाँ न्यूट्रल लिंक भी उपलब्ध हो। इसमें जंग रोधी CI शीट स्टील का घेरा होना चाहिए जिसमें पूरी तरह से इंटर लुक्ड कवर हो और यह दीवार/बस बार माउंटिंग के लिए उपयुक्त हो।

सॉकेट आउटलेट और प्लग

ये 3 पिन प्रकार के होंगे और इनकी रेटिंग 5 एम्पियर होगी। प्रत्येक सॉकेट आउटलेट कंट्रोलिंग स्विच के साथ पूरा होना चाहिए। सुरक्षात्मक फ्यूज लिंक 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट के साथ प्रदान किए जाएंगे। सॉकेट आउटलेट पियानो कुंजी प्रकार के होने चाहिए जैसा कि सलाहकार/इंजीनियर-इन-चार्ज को स्वीकार्य सूची के अनुसार होना चाहिए।

लुक-इन-जंक्शन बॉक्स

ये जंक्शन बॉक्स टपकन-रोधी प्रकार के तथा धूल-कीटरोधी होंगे, जो 16 मिमी मोटी शीट स्टील या अनुभवी सागौन की लकड़ी के बोर्ड से निर्मित होंगे, तथा इनका आंतरिक आयाम 200 x 150 x 100 गहराई का होगा, जो एकल चरण वितरण प्रणाली के लिए होगा, तथा इनमें पीतल के स्क्रू के साथ बैकलाइट शीर्ष कवर होगा।

कारीगरी और स्थापना कार्य

कारीगरी अच्छी व्यावसायिक गुणवत्ता की होगी और सभी आपूर्ति सामग्री और स्थापना कार्य परामर्शदाता/प्रभारी इंजीनियर की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार पूरा किया जाएगा।

माप की विधि

जब तक कि मात्राओं की अनुसूची में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, माप उत्पादित कार्य की शुद्ध मात्रा पर आधारित होगा। निष्पादित कार्य के माप के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में परामर्शदाता/प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

कंडक्ट वायरिंग

सभी एमएस कंड्यूट को आईएसआई मार्क किया जाना चाहिए जो आईएस: 9537 पार्ट- II- 1981 की पुष्टि करता हो या गैल्वनाइज्ड या स्टोव एनामेल्ड सतह के साथ नवीनतम फिनिश किया गया हो। सभी कंड्यूट सहायक उपकरण आईएस: 2667 - 1976 की पुष्टि करते हों और थ्रेडेड प्रकार के हों।

प्रत्येक सर्किट के लिए नाली को किसी भी तार को खींचने से पहले आवश्यक झाड़ियों के साथ पूरा खड़ा किया जाएगा। नाली काठी और फिक्सिंग सतह के बीच 10 मिमी मोटी आईडब्ल्यू स्पेसर का उपयोग किया जाएगा। काठी को ऊर्ध्वाधर रन के लिए 750 मिमी से अधिक और क्षैतिज रन के लिए 600 मिमी से अधिक के अंतराल पर तय नहीं किया जाएगा।

तारों

जब तक मात्राओं की अनुसूची में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, केवल सिंगल कोर पीवीसी/पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड केबल जिसमें सिंगल/मल्टीस्ट्रैंड कॉपर कंडक्टर शामिल हो, का उपयोग कंड्यूट सिस्टम में वायरिंग के लिए किया जाएगा। (आईएस 694-1990 के अनुरूप)

ग्राउंडिंग

विद्युत उपकरणों के सभी उजागर धातु भागों को भारतीय विद्युत नियमों और अर्थिंग के लिए प्रासंगिक भारतीय आचार संहिता 3040-1966 के अनुसार कम से कम दो अलग और विशिष्ट अर्थ कनेक्शन द्वारा अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाएगा।

पृथ्वी इलेक्ट्रोड

पृथ्वी इलेक्ट्रोड जीआई पाइप वर्ग बी होगा जिसका आंतरिक व्यास 50 मिमी तथा लंबाई 3 मीटर होगी तथा यह एक ही टुकड़े में होगा, जिसमें 150 मिमी केंद्र पर सभी तरफ 12 मिमी व्यास के छेद होंगे तथा इसकी न्यूनतम ऊंचाई 3 मीटर तक होगी। नीचे से और शीर्ष छोर से 100 मिमी पर 15 मिमी व्यास के दो छेद एक 76 मिमी (3") लंबे जीआई बोल्ट, डबल नट, वॉशर प्राप्त करने के लिए और वायर मेष फनल के साथ पूरा करें। पृथ्वी इलेक्ट्रोड में कोई जोड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रोड को कम से कम 2 माउंट चलाया जाएगा। चिनाई संरचना से स्पष्ट और दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई के दोगुने से कम नहीं होगी। 600 मिमी × 600 × 150 मिमी गहराई का एक चिनाई निरीक्षण बिंदु 125 मिमी मोटी सीएम (6:1) ईंट के काम के साथ अंदर और बाहर 20 मिमी मोटी प्लास्टर और 1.5 मिमी मोटी सफाई से सीमेंट किया जाएगा, पृथ्वी पाइप के शीर्ष के अंदर और बाहर,

वैधानिक प्राधिकरण से अनुमोदित

सब-स्टेशन स्थापना कार्य का निरीक्षण और अनुमोदन विद्युत निरीक्षक और CESU के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को ऐसी मंजूरी की व्यवस्था करनी होगी।

माप की विधि

सभी स्टोव एनामेल्ड ब्लैक एमएस कन्डिट, सीआई कन्डिट/पाइप और कठोर पीवीसी कन्डिट की शुद्ध लंबाई मापी जाएगी, जैसा कि सभी फिटिंग्स, बेंड्स, कोहनी, टीज़ आदि पर बिछाई या स्थिर की गई है, इसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

स्थापना योग्य माप ग्रंथि से ग्रंथि तक की लंबाई पर आधारित होगा, जिसमें फिटिंग और सहायक उपकरण में प्रवेश करने वाली केबल से 300 मिमी की छूट और स्विच बोर्ड में प्रवेश करने वाली केबल के लिए एक लाइनर मीटर की अनुमति होगी।

जब तक कि मात्राओं की अनुसूची में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, माप उत्पादित कार्य की शुद्ध मात्रा पर आधारित होगा। निष्पादित कार्य के माप के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में परामर्शदाता/प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा, और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

जहां भी आवश्यक हो, 16 वर्ग मीटर से अधिक आकार के केबल टर्मिनेशन के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के थिम्बल्स उपलब्ध कराए जाने हैं।

एडॉप्टर बॉक्स कम से कम 16 SWG मोटी MS शीट से बने होने चाहिए।

जहां तक निर्दिष्ट न किया जाए, जीआई बक्से 600 मिमी गहरे (अंदर) होने चाहिए

पीतल के बैटन होल्डर/एंगल बोल्डर आईएसआई विनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए और आईएसआई अनुमोदित होने चाहिए।

कार्य में पर्यवेक्षण सहित सम्पूर्ण श्रम और सम्पूर्ण स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां शामिल होंगी तथा कम्पनी की संतुष्टि के लिए संतोषजनक कार्यशील स्थापना देने के लिए कमीशनिंग जैसे परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

निविदाकर्ता को दरें उद्धृत करने से पहले साइट का दौरा करना होगा तथा निविदा को सभी विवरणों के साथ प्रस्तुत करना होगा, चाहे ऐसे विवरण कार्य की अनुसूची या विनिर्देश में उल्लिखित हों।

ठेकेदार को कार्य शुरू करने या उसे निष्पादित करने में हुई देरी के कारण हुई किसी भी हानि के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे का हकदार नहीं माना जाएगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो।

ठेकेदार को अपनी निविदा की राशि में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी या स्थानीय या केंद्रीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए जाने वाले अन्य शुल्क या फीस को जोड़ना होगा, क्योंकि यह माना जाएगा कि ठेकेदार की दरों में ऐसे सभी कर शामिल हैं और इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संपूर्ण कार्य की स्थापना के लिए विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों के अनुसार अपेक्षित सभी आवश्यक सुरक्षा विशेषताओं को ठेकेदार द्वारा ध्यान में रखा जाएगा तथा तदनुसार कार्य किया जाएगा।

श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व्यवस्था की सुरक्षा हेतु आदर्श नियम

1. **आवेदन** :

ये नियम बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रस्तावित विद्युत एवं डाटा केबलिंग कार्य के प्रभारी सभी भवन एवं निर्माण कार्यों पर लागू होंगे।

2. **परिभाषा** :

कार्यस्थल से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां निर्माण कार्य के सिलसिले में औसतन 50 श्रमिक कार्यरत हों।

बड़े कार्यस्थल से तात्पर्य ऐसे कार्यस्थल से है जहां निर्माण कार्य के सिलसिले में औसतन 500 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हों।

3. **प्राथमिक चिकित्सा.**

प्रत्येक कार्य स्थल पर, प्राथमिक उपचार उपकरण आसानी से सुलभ स्थान पर रखे जाएंगे, जिसमें पर्याप्त मात्रा में रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रोगाणुरहित रूई शामिल होगी। उपकरण को अच्छी स्थिति में रखा जाएगा और बड़े कार्य स्थल पर उन्हें किसी जिम्मेदार व्यक्ति के अधीन रखा जाएगा जो कार्य समय के दौरान आसानी से उपलब्ध रहेगा।

बड़े कार्यस्थल पर, जहां कार्यस्थल से आसान दूरी पर अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, प्राथमिक चिकित्सा चौकियां स्थापित की जाएंगी और प्रशिक्षित परिसर द्वारा उनका संचालन किया जाएगा।

जहां बड़े कार्यस्थल नियमित अस्पतालों से दूर हों, वहां प्रत्येक 250 कर्मचारियों के लिए एक बिस्तर वाला इनडोर वार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

घ. जहां बड़े कार्यस्थल शहरों, कस्बों और उनके उपनगरों में स्थित हैं और शहर या कस्बे के अस्पतालों की निकटता के कारण बिस्तरों की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, वहां तत्काल मामलों को अस्पतालों तक ले जाने की सुविधा के लिए उपयुक्त परिवहन प्रदान किया जाएगा। अन्य कार्यस्थलों पर, पूछताछ किए गए व्यक्ति या अचानक ले जाए गए व्यक्तियों को निकटतम अस्पताल तक ले जाने के लिए कार जैसी कुछ परिवहन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध रखी जाएंगी।

4. **पीने का पानी** :

प्रत्येक स्थान पर श्रमिकों के लिए आसानी से सुलभ उपयुक्त स्थानों पर पीने योग्य ठंडे पानी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा।

(ख) जहां पेयजल अन्तरालित सार्वजनिक जल आपूर्ति से प्राप्त किया जाता है, वहां कार्य स्थल पर भंडारण की व्यवस्था की जाएगी जहां ऐसे पेयजल का भंडारण किया जाएगा।

सी. प्रत्येक जल आपूर्ति या भंडारण किसी भी शौचालय, नाली या प्रदूषण के अन्य स्रोत से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। जहां पानी किसी ऐसे मौजूदा कुएं से खींचा जाना है जो शौचालय, नाली या प्रदूषण के किसी अन्य स्रोत के निकट है, वहां पीने के लिए पानी खींचने से पहले कुएं को ठीक से क्लोरीनयुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे सभी कुओं को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए और उनमें ट्रैप डोर की व्यवस्था होनी चाहिए जो धूल और पानी से सुरक्षित हो।

प्रत्येक ढके हुए कुएं में एक विश्वसनीय पंप लगाया जाएगा, ट्रैप दरवाजा बंद रखा जाएगा तथा उसे केवल सफाई या निरीक्षण के लिए खोला जाएगा जो महीने में कम से कम एक बार किया जाएगा।

5. धुलाई और स्नान के स्थान।

क.पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग धुलाई और स्नान के पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे।

ख. ऐसे स्थानों को साफ एवं सूखा रखा जाएगा।

6. शौचालयों और मूत्रालयों में आवास का पैमाना।

प्रत्येक कार्य स्थल के परिसर में शौचालय और मूत्रालय तथा एक सुगम स्थान की व्यवस्था की जाएगी, तथा उनमें से प्रत्येक के लिए अलग से व्यवस्था निम्नलिखित पैमाने से कम नहीं होगी:-

सीटों की संख्या

क.जहां व्यक्तियों की संख्या 502 से अधिक न हो

ख. जहां व्यक्तियों की संख्या 3 से अधिक हो

50 लेकिन खुराक 100 से अधिक नहीं

c.प्रत्येक अतिरिक्त 103 प्रति 100 के लिए

विशेष मामले में इंजीनियर के पास, जहां आवश्यक हो, पैमाने में परिवर्तन करने की शक्ति होती है।

7. **महिलाओं के लिए शौचालय और मूत्रालय:**

यदि महिलाओं को रोजगार दिया जाता है तो नियम 6 में निर्धारित पैमाने पर पुरुषों से अलग शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी तथा उन पर स्थानीय भाषा में स्पष्ट अक्षरों में "केवल महिलाओं के लिए" अंकित किया जाएगा। पुरुषों के लिए भी इसी प्रकार "केवल पुरुषों के लिए" अंकित किया जाएगा। शौचालयों के प्रवेश द्वार पर "संबंधित लिंग" के लिए एक पुरुष या महिला की आकृति वाला पोस्टर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मूत्रालयों और शौचालयों के पास पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति होगी।

8. **शौचालय एवं मूत्रालय:**

सभी शौचालयों में सेप्टिक टैंक या छोटी इकाइयों के मामले में लीच पिट की व्यवस्था की जाएगी। सभी शौचालयों को अच्छी स्वच्छता स्थितियों में रखा जाएगा।

9. **शौचालयों का निर्माण :**

अंदर की दीवारें कुछ उपयुक्त गर्मी प्रतिरोधी गैर-शोषक सामग्रियों की चिनाई से बनाई जाएंगी और साल में कम से कम एक बार अंदर और बाहर सीमेंट से धुलाई की जाएगी। सीमेंट धुलाई की तारीखों को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाना चाहिए। शौचालय बोर होल सिस्टम से कम मानक के नहीं होंगे और उनकी छतें छप्पर वाली होनी चाहिए।

10. **मलमूत्र का निपटान :**

जब तक स्थानीय स्वच्छता प्राधिकरण द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की जाए, मलमूत्र के उचित निपटान की व्यवस्था इंजीनियर द्वारा विधिवत् अनुमोदित तथा स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की आवश्यकताओं के अनुरूप सेप्टिक टैंक या लीच पिट द्वारा की जाएगी।

11. **विश्राम के दौरान आश्रय की व्यवस्था :**

प्रत्येक कार्य स्थल पर दो उपयुक्त शेड निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें से एक भोजन के लिए तथा दूसरा पुरुषों के लिए अलग-अलग विश्राम के लिए होगा तथा फर्श से छत के सबसे निचले हिस्से तक 3.5 मीटर से कम की दूरी पर होगा। शेड की छत कम से कम छप्पर से बनी होनी चाहिए तथा मिट्टी का फर्श बनाया जाना चाहिए, तथा चारों ओर कम से कम 750 मिमी की बौनी दीवार होनी चाहिए। शेड को साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए तथा स्थान प्रति व्यक्ति कम से कम 0.05 वर्ग मीटर के आधार पर होना चाहिए।

क्रेच :

प्रत्येक कार्य स्थल पर, जहाँ 50 या उससे अधिक महिला कर्मचारी सामान्यतः कार्यरत हैं, ऐसी महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए दो झोपड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। एक झोपड़ी का उपयोग शिशुओं के खेलने-कूदने तथा अन्य झोपड़ियों के लिए किया जाएगा। झोपड़ी का निर्माण निम्न मानक से कम नहीं किया जाएगा:

i)फूस की छतें.

ii) मिट्टी के फर्श और दीवारें।

iii) मिट्टी के फर्श पर तख्त बिछाए गए और उन्हें चटाई से ढका गया।

झोपड़ियों में प्रकाश और वायु-संचार के लिए उपयुक्त और पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। जगह को साफ रखने के लिए पर्याप्त सफाई कर्मचारी होने चाहिए। प्रतिदिन दो सफाई कर्मचारी मौजूद रहेंगे। संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार स्वच्छता के बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। झोपड़ी का उपयोग केवल बच्चों, उनके परिचारकों और बच्चों की माताओं तक ही सीमित रहेगा।

(ख) जहां महिला श्रमिकों की संख्या 25 से अधिक परंतु 50 से कम है, वहां ठेकेदार को महिला श्रमिकों के बच्चों की देखभाल के लिए कम से कम एक झोपड़ी और एक छाया प्रदान करनी होगी।

ग. क्रेच या क्रेचों का आकार महिला श्रमिकों की संख्या के अनुसार अलग-अलग होगा।

क्रेच या क्रेचों का उचित रखरखाव किया जाएगा तथा खिलौने आदि जैसे आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

13. **कैंटीन :**

जहां भी यह उचित समझा जाएगा, श्रमिकों के लाभ के लिए मध्यम स्तर पर पका हुआ भोजन कैंटीन उपलब्ध कराया जाएगा।

समझौते का अनुच्छेद

यह समझौता 2025 के ……दिन पर "बैंक ऑफ इंडिया" जो बैंकिंग कंपनियां (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970) के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसका आंचलिक कार्यालय बैंक ऑफ इंडिया सीवान-841226 में है (जिसे इसके बाद "नियोक्ता" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) एक पक्ष के बीच किया गया।

और

……
……जिसका पंजीकृत कार्यालय …… पर है जिसे अन्य भाग का "ठेकेदार" कहा गया है जबकि नियोक्ता …….. पर …… शाखा का कार्य करने का इच्छुक है जैसा कि निविदाकर्ता को दिए गए अनुदेश में कहा गया है। (जिसे यहां "कार्य" कहा गया है)
जहां मालिक ने ..... पर उक्त कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए **मेसर्स सी आर जेनेसिस को नियुक्त किया है।**

(इसके बाद "वास्तुकार / सलाहकार" के रूप में संदर्भित) **मिरगंज, जिला- गोपालगंज में बीओआई मिरगंज शाखा के विद्युत और डेटा केबलिंग कार्य के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हुए योजनाएं, चित्र और विनिर्देश तैयार करने** के लिए "मालिक" के कार्यालय में प्राप्त निविदा खोलने के लिए, मालिक को ठेकेदार / ठेकेदारों के नाम की जांच करने और सिफारिश करने के लिए जिनसे निविदाएं प्राप्त हुई थीं और मालिक से अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इस प्रकार सिफारिश किए गए ठेकेदार / ठेकेदारों को कार्य आदेश जारी करना।
चूंकि स्वामी ने अनुबंध की सामान्य शर्तों और निविदाकर्ताओं के लिए निर्देशों के अनुसार विद्युत और डाटा केबलिंग कार्यों की योजना, ड्राइंग संख्या और विनिर्देशों, मूल्यांकित मात्रा की अनुसूची उक्त वास्तुकार/परामर्शदाता की सहायता से तैयार की है, जिसके अधीन ठेकेदार का प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा।
जबकि उक्त कार्य के निर्माण के लिए ठेकेदार की निविदा स्वामी द्वारा अनुमोदित की गई है।
जबकि ठेकेदार ने अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए मालिक के पास सुरक्षा जमा के रूप में रु..... जमा कर दिया है।
जबकि उक्त वास्तुकार/परामर्शदाता ने ठेकेदार को कार्य आदेश जारी कर दिया है।
और चूंकि विनिर्देशों, मात्राओं की मूल्य अनुसूची, अनुबंध की सामान्य शर्तों और निविदाकर्ता को दिए गए निर्देशों (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से 'उक्त शर्तों' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) सहित प्रासंगिक ड्राइंग पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और ठेकेदार ने उक्त शर्तों के अधीन कार्य निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
अब निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:-

1. ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतानों के प्रतिफल में, जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त चित्रों आदि में दर्शाए गए कार्यों को निष्पादित और पूरा करेगा तथा ऐसे अन्य विस्तृत चित्र जो उक्त स्वामी द्वारा वास्तुकार के माध्यम से ठेकेदार को दिए जाएंगे तथा जिनका वर्णन उक्त विनिर्देशन और मात्राओं की उक्त मूल्य सूची में किया गया है।
2. स्वामी ठेकेदार को रु. ……(रुपये ……..) (जिसे इसके बाद अनुबंध राशि कहा जाएगा) या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय हो जाएगी।
3. उक्त शर्तों में "वास्तुकार/सलाहकार" शब्द का अर्थ उक्त मेसर्स स्पेस आर्क होगा और उक्त वास्तुकार/सलाहकार द्वारा इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए वास्तुकार/सलाहकार न रहने की स्थिति में ऐसे अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को बैंक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाएगा। बशर्ते कि इस अनुबंध के तहत बाद में वास्तुकार के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति निवर्तमान वास्तुकार/सलाहकार द्वारा लिखित रूप में व्यक्त अनुमोदन पर किसी भी निर्णय की अवहेलना या उसे खारिज करने का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसा मालिक के निर्देश के तहत किया गया हो।
4. ऊपर उल्लिखित योजनाएं, करार और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे तथा सभी विवादों का निर्णय संलग्न शर्तों में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
5. उक्त अनुबंध में ऊपर उल्लिखित विद्युत एवं डाटा केबलिंग कार्य तथा उसी साइट के भीतर उससे जुड़े सभी सहायक कार्य शामिल हैं, जिन्हें समय-समय पर उक्त नियोक्ता द्वारा वास्तुकार/परामर्शदाता या अन्य वास्तुकार/परामर्शदाता के माध्यम से किए जाने का आदेश दिया जा सकता है, भले ही ऐसे कार्य चित्रों में नहीं दिखाए गए हों या उक्त विनिर्देशों या मात्राओं की मूल्य सूची में वर्णित न हों।
6. अनुबंध की सामान्य शर्तों, विशेष शर्तों और इसमें पूर्व में बताई गई बातों के बावजूद, स्वामी वास्तुकार/परामर्शदाता के माध्यम से कार्य के चित्र और प्रकृति में परिवर्तन करने और कार्य के किसी मद को जोड़ने या हटाने या उसके किसी भाग को विभागीय रूप से या अन्यथा कार्य कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे परिवर्तन या बदलाव इस अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किए जाएंगे।
7. उक्त शर्तों को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा और इसके पक्षकार क्रमशः इन शर्तों और अनुबंधों का पालन करने और उनके प्रति समर्पित होने के लिए बाध्य होंगे और अपनी ओर से इनका क्रमशः पालन और निष्पादन करेंगे।
8. इस समझौते के तहत पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को अनुबंध की सामान्य शर्त के खंड 60 में निर्धारित तरीके और प्रावधानों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
9. इस समझौते से उत्पन्न या किसी भी तरह से जुड़े सभी विवाद रसूलपुर में उत्पन्न माने जाएंगे और सारन की अदालत को इसे निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार होगा।
10. 2024 के इस दिन हमारे हाथ साक्षी बनें

बैंक की उपस्थिति में उक्त द्वारा हस्ताक्षरित ।

ठेकेदार की उपस्थिति में उक्त द्वारा हस्ताक्षरित ।

मात्रा के बिल की प्रस्तावना

1. मात्रा के बिल को रेखाचित्रों, अनुबंध की शर्तों और विनिर्देशों के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये दस्तावेज अनुबंध में शामिल कार्यों के बारे में संयुक्त रूप से व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक हैं।
2. अनुबंध दस्तावेजों में अन्यत्र दिए गए कार्य और सामग्रियों के सामान्य निर्देश और विवरण आवश्यक रूप से मात्रा के बिल में दोहराए नहीं गए हैं। जानकारी के लिए अन्य दस्तावेजों का संदर्भ लिया जाना चाहिए।
3. यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने अपनी निविदा तैयार करने से पहले साइट का दौरा किया है तथा स्वयं उन शर्तों की जांच की है जिनके तहत कार्य का मूल्य निर्धारण किया जाएगा तथा कार्य के निष्पादन और उसकी लागत को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारकों की भी जांच की है।
4. मात्रा के बिल में कार्य और सामग्री की मात्रा को ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य और आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के दायरे को सीमित या विस्तारित करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। मात्रा के बिल में मात्राएँ कार्य की मात्रा का अनुमान हैं, लेकिन कार्य पूरा होने पर मापी जाएगी और ठेकेदार को वास्तुकार द्वारा अनुमोदित कार्य के वास्तविक माप पर भुगतान किया जाएगा।
5. मापन के लिए इस्तेमाल की गई कोई भी विशेष विधि प्रभावित वस्तुओं के लिए मात्रा के बिल के शीर्ष पर या पाठ में बताई गई है। अन्य सभी वस्तुओं को आरेखण के अनुसार शुद्ध रूप से मापा जाता है और अपव्यय के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, माप प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार होंगे।
6. मात्रा के बिल में आइटम के सामने अंकों में कीमत या दर दर्ज की जानी चाहिए, चाहे मात्रा बताई गई हो या नहीं। जिस आइटम के सामने कोई कीमत दर्ज नहीं की गई है, उसे बिल में अन्य कीमतों या दरों के अंतर्गत माना जाएगा।
7. इच्छुक मूल्य और दरें विभिन्न मदों के अंतर्गत वर्णित कार्यों का पूर्ण समावेशी मूल्य होंगी, जिसमें वर्णित कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी लागतें और व्यय शामिल होंगे, साथ ही अनुबंध, विनिर्देशों और रेखाचित्रों की शर्तों में उल्लिखित या निहित सभी लागतें और दायित्व भी शामिल होंगे।
8. कुछ परिष्करण वस्तुओं की मात्रा में पूर्णतः परिवर्तन किया जा सकता है (या तो जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है) तथा इससे किसी भी दर उद्धरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. जहां कीमतें एकमुश्त मदों के लिए दर्ज की गई हैं, ऐसी प्रभावित मदों के लिए भुगतान, बिलिंग के समय किए गए कार्यों की सीमा के अनुपात में किया जाएगा तथा यह वास्तुकार के विवेक पर निर्भर होगा।
10. "प्रदान करना और लगाना" का अर्थ यह होगा कि ठेकेदार को ऐसी सामग्री उपलब्ध करानी होगी जो बैंक द्वारा खरीदी और वहन नहीं की जा रही है, लेकिन जो मद के लिए आवश्यक है और यदि ठेकेदार द्वारा कोई सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है, तो दर केवल मद में शामिल घटक को लगाने के लिए होगी।
11. पेंटिंग और अन्य फिनिशिंग की मदों में मात्रा के अनुसार पूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है (या तो जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है) और इससे उद्धृत दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
12. जहां मात्रा के बिल में एकमुश्त मदों के लिए मूल्य दर्ज किए गए हैं, ऐसे प्रभावित मदों के लिए भुगतान मासिक किस्तों में किया जाएगा (अनुबंध की शर्तों के प्रासंगिक खंड के प्रावधान के अधीन) उस सीमा के अनुपात में, जिस सीमा तक महीने के अंत में परामर्शदाता के विवेक पर प्रासंगिक कार्य किए गए हैं।
13. आकस्मिकताओं और अतिरिक्त कार्यों को कवर करने के लिए मात्रा के बिल में शामिल अनंतिम राशि को परामर्शदाता के निर्देशानुसार आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा और किसी भी कटौती या निष्पादित अतिरिक्त कार्य

को मात्रा के बिल में सम्मिलित दरों पर मापा और मूल्यांकित किया जाएगा या जहां ऐसी दरें लागू नहीं हैं, वहां अनुबंध की शर्तों के प्रासंगिक खंडों में दिए गए अनुसार।

14. मात्रा के बिल में दर्ज अन्य सभी अनंतिम और प्रमुख लागत राशियों को अनुबंध की शर्तों के प्रासंगिक खंड के अनुसार निपटाया जाएगा। यदि "मात्रा के बिल" में मदों के लिए स्वीकृत निविदा दरें कई परिचालनों को कवर करती हैं, तो परामर्शदाता अपने विवेक से, ऐसे मदों के विरुद्ध 'अंतरिम बिल' में आंशिक दरों की अनुमति दे सकता है, जिनमें से केवल एक परिचालन पूरा हो गया है। आंशिक दर की मात्रा परामर्शदाता द्वारा तय की जाएगी।
15. केवल ड्राइंग पर अंकित आयामों का ही पालन किया जाएगा। यदि ड्राइंग पर कोई आयाम उपलब्ध नहीं है, तो उसे परामर्शदाता से प्राप्त किया जाएगा।
16. जहां कहीं भी किसी भारतीय मानक आचार संहिता का संदर्भ दिया जाता है, तो उसका तात्पर्य उपयोग में आने वाले प्रासंगिक मानक के नवीनतम संस्करण से होगा।
17. काम शुरू होने से पहले, जमीन का सटीक सर्वेक्षण और स्तर, चाहे खुदाई या भराई का प्रस्ताव हो या न हो, सलाहकार और ठेकेदार या उसके एजेंट द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाएगा, और इस तरह लिए गए स्तरों के चित्र ऐसे सर्वेक्षणों और स्तरों से तैयार किए जाएंगे। इन पर ठेकेदार और सलाहकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस तरह लिए गए और दर्ज किए गए स्तर अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगे।
18. कार्य के प्रत्येक भाग को समय-समय पर जमा होने वाली गंदगी से मुक्त रखा जाएगा और कार्य के समापन पर सभी दोषों से मुक्त और साफ-सुथरा रखा जाएगा। जैसे ही कार्य क्षेत्र के किसी विशेष भाग में कार्य पूरा हो जाता है, ठेकेदार उस हिस्से को साफ कर देगा और उसे आगे की गतिविधियों के लिए उपलब्ध करा देगा।
19. ठेकेदार अन्य ठेकेदार(ओं) को पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएं देगा।
20. ठेकेदार को काम की सही और उचित सेटिंग, स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता, उससे संबंधित सभी आवश्यक उपकरणों, उपकरणों और श्रम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यदि काम की प्रगति के दौरान किसी भी समय सलाहकार द्वारा किसी भी लाइन या स्तर की स्थिति, स्तर, आयाम या संरेखण में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार को इसकी शुद्धता के लिए अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह से मुक्त नहीं किया जाएगा, और ठेकेदार को सभी बेंच मार्क, साइट-रेल, खूंटे और अन्य सर्वेक्षण को सावधानीपूर्वक सुरक्षित और संरक्षित करना होगा।
कार्यों की स्थापना में आधारशिला।
21. किसी भी विनिर्देश के उल्लंघन के लिए "प्रचलित प्रथा" की दलील को किसी भी हालत में बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
22. इस अनुबंध में सिविल कार्यों के लिए सामग्री और कारीगरी दी गई तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार होगी। जिन वस्तुओं के लिए विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें केंद्र सरकार के नवीनतम आईएस कोड या सीपीडब्ल्यूडी हैंडबुक भाग I और II के अनुसार निष्पादित किया जाएगा ।

संकेतन: मात्राओं के बिल के कॉलम “ इकाई ” में:
वर्गमीटर - दर्शाता है - वर्ग मीटर , वर्गफुट - दर्शाता है - वर्ग फुट
मीटर - दर्शाता है - रनिंग मीटर फीट - दर्शाता है - रनिंग फीट
LS- दर्शाता है - एकमुश्त राशि। प्रत्येक - नहीं
नहीं - का अर्थ है - संख्या
पीटी - दर्शाता है – बिंदु

लिफाफा संख्या - 02 में प्रस्तुत किया जाना है

सिवान अंचल
प्रथम तल , तरवारा मोर
सीवान, पिन-841226
वित्तीय बोली - भाग बी
मात्रा का बिल
के लिए

"इलेक्ट्रिकल और डेटा केबलिंग कार्य
में बैंक ऑफ इंडिया मिरगंज शाखा मिरगंज में"

मेसर्स _____ को जारी
_____
_____
_____
_____

<u>वास्तुकार:-</u>
सी आर जेनेसिस ,पटना- 800020
आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और वैल्यूअर
मोब-9097656656